संशोधित प्रति
30 जून, 2002

सर्व शिक्षा अभियान

जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्ययोजना (2002–2007)

जनपद – सीतापुर

NIEPA DC
D11481

-54254
372
SIT-J

MFM-28303

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11481
DOC, No .....
Date 09-07-2002.

सीतापुर

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–8
2.	शैक्षिक परिदृश्य	9–22
3.	नियोजन प्रक्रिया	23–30
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	31–33
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	34–40
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (नवीन विद्यालय)	41–45
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	46–68
8.	ठहराव में वृद्धि	69–94
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	95–127
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	128–151
11.	परियोजना लागत	152–165

अध्याय – 1

जिले की पृष्ठ भूमि

परिचय

पौराणिक ग्रन्थों में वर्णित 88000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ के रुप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उत्तर में 88किमी0 की दूरी पर स्थित परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पाण्डेय की जन्मस्थली सीतापुर देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सपूतों की कहानी कहता हुआ धर्म और सभ्यता का प्रतीक मानकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जनपद है। एशिया का सुप्रसिद्ध लोगों को जीवन की रोशनी प्रदान करने वाला ऑख अस्पताल अपनी सेवा भावना से लगातार जनपद का गौरव बढा रहा है ।

भौगोलिक परिदृश्य

जनपद सीतापुर का भौगोलिक क्षेत्रफल 5743 वर्ग किमी0 है । जनपद सीतापुर पूर्व में बहराइच तथा बाराबंकी एवं पश्चिम में जनपद लखीमपुर खीरी की सीमाओं को चूमता हुआ हरदोई का मिलन है। जनपद की दक्षिणी दिशा की शोभा नवाबों की नगरी प्रदेश की राजधानी तथा शिक्षा का केन्द्र लखनऊ बढा रहा है। जनपद सीतापुर का उत्तरी क्षेत्र गॉजरी क्षेत्र के रुप में जाना जाता है क्योंकि घाघरा एवं शारदा जैसी विकराल नदियों के प्रकोप से प्रतिवर्ष गॉव के गॉव अस्तित्वहीन हो जाते है तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी लोगो के मन में शिक्षा के प्रति आर्कषण में बाधा उत्पन्न करता है । दैवी आपदाओं से समस्याओं का अम्बार शिक्षा के क्षेत्र में अरूचि को बढ़ावा देता है। जनपद की अधिकतर आबादी गरीबी एवं दैवी आपदाओं से पीडित होने के कारण जीविका एवं सुरक्षा के लिए संघर्षरत रहती है। जिससे लोग शिक्षा के अवसर ही नही प्राप्त कर पाते । नदियो और नालों से घिरे हुए क्षेत्र प्रशासकीय सहायता एवं सुविधा से पूर्ण लाभ प्राप्त न कर पाने के कारण तथा अभाव की

स्थिति में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति के कारण लोग शिक्षा के प्रति सोचने का अवसर ही नही प्राप्त कर पाते । नदियो और नालों से घिरे हुए क्षेत्र प्रशासकीय सहायता एवं सुविधा से पूर्ण लाभ प्राप्त न कर पाने के कारण तथा अभाव की स्थिति में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति के कारण शिक्षा की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएँ है ।

आर्थिक परिदृश्य

सीतापुर का अधिकॉश क्षेत्र मैदानी है जो कि शारदा नहर से सिंचित एवं ऊपजाऊ है । जिसके कारण जनपद कृषि प्रधान है । यहॉ चावल, गेहूँ उडद अरहर , गन्ना एवं तिलहन की प्रमुख फसले होती है। खैराबाद एवं लहरपुर में दरी उद्योग विकसित है जहाँ से देश – देशान्तर को दरियों का निर्यात होता है । गन्ने की फसलें आर्थिक रूप से अच्छा योगदान करती है। जनपद में 5 चीनी मिलें, आटा मिले, दाल मिले, तेल मिले एवं कई खाण्डसारी इकाईयां संचालित है। गॉजरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए विकास खण्ड रामपुर मथुरा में एक सूत मिल स्थापित की गयी है।

प्रशासनिक इकाईयां

जनपद को प्रशासनिक आधार पर छह तहसीलों में बॉटा गया है। विकास के आधार पर जनपद को 19 विकास खण्डों छः नगरपालिकाओं एवं 5 टाउन एरिया में विभाजित किया गया है । जनपद में 219 न्याय पंचायते, 1326 ग्राम सभाएँ एवं 2314 राजस्व ग्राम एवं 6088 बस्तियॉ है । प्रशासनिक इकाईयों को सारणी रूप में दिखाया गया है।

सारणी 1.1
जिले की प्रशासनिक इकाईयाँ

क्रमांक	प्रशासनिक इकाईयाँ	संख्या
1	तहसील	6
2	विकास खण्ड	19
3	न्याय पंचायत	219
4	ग्राम सभाएं	1326
5	राजस्व ग्राम	2314
6	बस्तियो की संख्या	6088
7	नगरीय क्षेत्र	.....
8	नगरनिगम	.....
9	नगर महापालिका	.....
10	नगर पालिका	06
11	टाउन एरिया	05
12	वार्ड	205

स्रोत – जिला सांख्यकीय पत्रिका

अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 920441 है। कुल जनसंख्या का 17.78 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग से आच्छादित है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 497 प्रतिवर्ग कि.मी. है। उपरोक्त को निम्नलिखित वर्णित किया गया है।

1991 के अनुसार

पुरूष	1558905
महिला	1298104
योगः	2857009

2001 की जनगणना के अनुसार

पुरूष	1915304
महिला	1701206
योगः	3616510

वृद्धि दर –		2.4	
लिंग अनुपात		1000 पुरूषों पर 862 महिलायें	
जनसंख्या घनत्व		630 प्रति वर्ग किलोमीटर	
अनुसूचित जाति	पुरूष	501554	55 प्रतिशत
	महिला	418887	45 प्रतिशत
	योगः	920441	
अल्पसंख्यक वर्ग		जनसंख्या में कुल प्रतिशत 17.78	

स्रोतः सांख्यकी पत्रिका जनपद सीतापुर वर्ष 1998 के आधार पर

नोट : जनगणना 2001 के अनुसुचित जाति की संख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सारणी 1.2

2001 की अनुमानित जनसंख्या पर विकास खण्डवार अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत

क्रम. संख्या	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या (अनुमानित)	अनु. जाति की जनसंख्या (अनुमानित)	अनु. जाति की जनसंख्या कुल में प्रतिशत
1.	खैराबाद	152293	56679	37.20
2.	ऐलिया	151696	53550	35.30
3.	परसेंडी	171489	62359	36.36
4.	हरगांव	167752	64919	38.69
5.	मिश्रिख	152653	64583	42.30
6.	पिसावां	181546	52732	29.04
7.	महोली	140397	52274	37.23
8.	मछरेहटा	160155	70248	43.59
9.	गोंदलामऊ	168869	70769	41.90
10.	सिधौली	160685	61434	38.23
11.	कसमण्डा	165683	67738	40.88
12.	पहला	149115	53744	36.04
13.	महमूदाबाद	123050	37198	30.22
14.	रामपुर मथुरा	156764	32101	20.47
15.	बिसवाँ	215280	71601	33.25
16.	रेउसा	200194	45751	22.85
17.	सकरन	150964	54220	35.91
18.	लहरपुर	131054	44560	34.00
19.	बेहटा	166632	58919	35.35
	योग	3066271	1075379	35.07

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका

वर्ष 2001 की जनगणना के विकास खण्डवार व जातिवार सारिणी अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत मछरेहटा में 43.59 प्रतिशत तथा सबसे कम रामपुर मथुरा में 20.47 प्रतिशत है।

सारणी — 1.3

2001 की अनुमानित जनसंख्या पर नगर क्षेत्रवार अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत

क्र०सं०	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या (अनुमानित)	अनु.जाति की जनसंख्या (अनुमानित)	अनु.जाति की जनसंख्या कुल में %
1	नगर क्षेत्र खैराबाद	36202	2432	6.71
2	,, ,, सीतापुर	148647	15685	10.55
3	,, ,, बिसवाँ	44851	2494	6.22
4	,, ,, मिश्रिख	22801	4487	19.67
5	न0 पा0 लहरपुर	45202	2201	4.86
6	,, ,, महमूदाबाद	39779	3623	9.10
7	टा0 ए0 हरगांव	17119	2830	11.85
8	,, ,, महोली	19535	4047	20.71
9	,, ,, तम्बौर	17111	1538	8.98
10	,, ,, सिंधौली	16832	3059	18.17
11	,, ,, पैतेपुर	11195	814	7.27
योग		419274	42710	10.18

स्रोत — जिला सांख्यिकीय पत्रिका

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत महोली में 20.71 प्रतिशत तथा सबसे कम लहरपुर में 4.86 प्रतिशत है।

<u>जनसंख्या</u>

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनपद की कुल संख्या 28.57 लाख थी। जिसमें 15.8 लाख पुरूष एवं 12.98 लाख महिलाये थी। अनु0 जाति का प्रतिशत 32.34 था जो प्रदेश के औसत 21.20 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 2001 में जिले की कुल जनसंख्या 36.16 लाख है जिसमें 19.15 लाख पुरूष तथा 17.01 लाख महिलाये है। 0-6 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या 683753 है। जो कुल जनसंख्या का 18.9% है जनपद का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरूष पर 862 महिलाओं का है। जनपद की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत है। जनपद का जनसंख्या धनत्व 630 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

सारणी 1.4

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991							जनसंख्या 2001						
		कुल जनसंख्या			अनु0जाति जनसंख्या			प्रतिशत	कुल जनसंख्या			अनु0जाति जनसंख्या			प्रतिशत
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
1	नगर क्षेत्र खैराबाद	15588	14086	29674	1076	917	1993	6.72	19017	17185	36202	1313	1119	2432	6.72
2	नगर क्षेत्र सीतापुर	65571	56271	121842	6943	5914	12857	10.55	79997	68650	148647	8470	7215	15685	10.55
3	नगर क्षेत्र बिसवां	19467	17296	36763	1237	1053	2290	6.23	23750	21101	44851	1509	1285	2794	6.23
4	नगर क्षेत्र मिश्रित	11391	7298	18689	1986	1692	3678	19.68	13897	8904	22801	2423	2064	4487	19.69
5	न0 पा0 लहरपुर	19429	17622	37051	974	830	1804	4.87	23703	21499	45202	1189	1013	2201	4.87
6	न0 पा0 महमूदाबाद	17346	15260	32606	1603	1366	2969	9.11	21162	18617	39779	1956	1667	3623	9.11
7	टा0 ए0 हरगांव	7608	6424	14032	899	765	1664	11.86	9282	7837	17119	1097	933	2030	11.86
8	टा0 ए0 महोली	8695	7318	16013	1791	1526	3317	20.71	10608	8927	19535	2185	1862	4047	20.72
9	टा0 ए0 तम्बौर	7435	6590	14025	680	580	1260	8.98	9071	8040	17111	830	706	1536	8.99
10	टा0 ए0 सिधौली	7361	6436	13797	1354	1153	2507	18.17	8980	7852	16832	1652	1407	3059	18.17
11	टा0 ए0 पैंतेपुर	4895	4281	9176	360	307	667	7.27	5972	5223	11195	439	375	814	7.27
		184788	158882	343668	18903	16103	35006	10.19	225439	193835	419274	23062	19648	42710	10.19

नोट- जनगणना 2001 को <u>क्षेत्रवार/जातिवार</u> जनसंख्या अभी उपलब्ध नही है।

सारणी-1.5

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991							जनसंख्या 2001						
		कुल जनसंख्या			अनुसूचित जनसंख्या			प्रतिशत	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जनसंख्या			प्रतिशत
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	
1	खैराबाद	68171	56659	124830	25300	21158	46458	37.22	83169	69124	152293	30866	25813	56679	37.22
2	ऐलिया	67949	56392	124341	23904	19989	43893	35.30	82898	68798	151696	29163	24387	53550	35.30
3	परसेंडी	76298	64267	140565	27674	23440	51114	36.36	93084	78905	171989	33762	28597	62359	36.26
4	हरगांव	74378	63124	137502	28575	24637	53212	38.70	90741	77011	167752	34862	30057	64919	38.70
5	मिश्रित	68901	56225	125126	31205	25666	56871	45.45	84059	68594	152653	33070	31313	69383	45.45
6	पिसावां	82224	66585	148809	23996	19227	43223	29.05	100313	81233	181546	29275	23457	52732	29.05
7	महोली	63007	52073	115080	23392	19458	42850	37.23	76868	63529	140397	28538	23736	52274	37.23
8	मछरेहटा	71865	59410	131275	31478	26143	57621	43.89	87675	72480	160155	38403	31895	70298	43.89
9	गोन्दलामऊ	76046	62371	138417	31966	26041	58007	41.91	92776	76093	168869	38999	31770	70769	41.91
10	सिधौली	71219	60490	131709	27324	23032	50356	38.23	86887	73798	160685	33335	28099	61434	38.23
11	कसमण्डा	73495	62311	135806	29874	25649	55523	40.88	89664	76019	165683	36446	31292	67738	40.88
12	बेहटा	67104	55121	122225	24148	19904	44052	36.04	81867	67248	149115	29461	24283	53744	36.04
13	महमूदाबाद	55222	45639	100861	16742	13748	30490	30.23	67371	55679	123050	20425	16773	37198	30.23
14	रामपुर मथुरा	71348	57147	128495	14536	11776	26312	20.48	87045	69719	156764	17734	14367	32101	20.48
15	बिसवां	95840	80619	176459	31788	26902	58690	33.26	116925	98355	215280	38781	32820	71601	33.26
16	रेउसा	90220	73874	164094	20658	16843	37501	22.85	110068	90126	200194	25203	20548	45751	22.85
17	सकरन	68091	55650	123741	24428	20015	44443	35.92	83071	67893	150964	29802	24418	54220	35.92
18	लहरपुर	58181	49241	107422	19597	16928	36525	34.00	70980	60074	131054	23900	20652	44560	34.00
19	पहला	74560	62024	136584	26066	22228	48294	35.36	90063	75069	165632	31801	27118	58919	35.36
	योग	1374119	1139222	2513341	482651	402784	885435	35.23	1676424	1390347	3066771	508934	491305	1000229	35.22
	योग नगरीय	184786	158882	343668	18903	16103	35006	10.19	225439	193835	419274	23062	19648	42710	10.19
	महायोग	1558905	1298104	2857009	501554	418887	920441	32.22	1901863	1584182	3486045	611896	511043	1122939	32.21

जनगणना 2001 को विकास खण्डवार/जातिवार जनसंख्या के आकंडे अभी उपलब्ध नही है। अतः 2001 के अनुमानित आंकडे दिए गए है।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

आर्थिक दृष्टि से विकसित होने के बावजूद निम्न महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम होने के कारण वर्ष 1993 में उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना द्वारा चयनित किया गया था। परियोजना वर्ष 1993 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2000 में पूर्ण हो चुकी है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक 619 नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। 222 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों का पुनः निर्माण तथा 227 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई साथ ही 38 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनः निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त 754 अतिरिक्त कक्षा कक्ष व 1422 शौचालयों का निर्माण कराया गया। परियोजना से पूर्व संचालित 1117 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प लगाये गये। विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने हेतु 19 ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा 219 संकुल भवनों का निर्माण कराया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में 12 विद्यालय भवन, 12 शौचालय, 12 हैण्ड पम्प, तथा 12 चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।

जनगणना 2001 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत के आपेक्ष जनपद की साक्षरता 49.12 प्रतिशत है। कुल पुरूष साक्षरता प्रदेश में 70.23 प्रतिशत है जबकि जनपद की पुरूष साक्षरता दर 61.02 प्रतिशत है। जनगणना 91 के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 36.66 प्रतिशत है जबकि जनपद की 27.98 प्रतिशत ही है। प्रदेश की नगरीय साक्षरता 61.03 प्रतिशत के सापेक्ष जनपद की नगरीय साक्षरता दर 56.28 प्रतिशत है। जनपद की महिला साक्षरता दर 16.90 प्रतिशत है। जबकि प्रदेश की महिला साक्षरता दर 25.1 प्रतिशत है। यहां पर कुल आबादी का 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग से आच्छादित है। जिसमें आज भी पर्दा प्रथा प्रचलित है और इस वर्ग में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भी अपेक्षाकृत कम है।

सारणी 2.1

राज्य तथा जिले की साक्षरता दर

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद सीतापुर की नगरीय, ग्रामीण साक्षरता निम्नवत है।

	राज्य की साक्षरता दर (1991)	जनपद की साक्षरता द (1991)
कुल साक्षरता	41.60	31.41
ग्रामीण साक्षरता	36.66	27.98
नगरीय साक्षरता	61.03	56.28
कुल पुरुष साक्षरता	55.73	43.10
कुल महिला साक्षरता	25.31	16.90
ग्रामीण पुरुष साक्षरता	52.05	40.19
ग्रामीण महिला साक्षरता	19.02	12.73
नगरीय पुरुष साक्षरता	69.68	64.64
नगरीय महिला साक्षरता	50.38	46.35

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 199

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 49.12 प्रतिशत ह गयी हैं पुरुष साक्षरता दर 61.02 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 35.08 प्रतिशत है। विगत दशक में जनपद साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी हैं।

शैक्षिक संस्थायें

जनपद में कुल 2239 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा 372 मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 442 परिषदीय तथा 272 मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है। जनपद में 47 हाई स्कूल तथा 60 इण्टरमीडिएट कालेज संचालित है। जनपद मे स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। जनपद मे एक केन्द्रीय विद्यालय है जो सीतापुर में स्थित है। विकास क्षेत्र खैराबाद में एक नवोदय विद्यालय है। संस्थाओ का विवरण निम्नवत् है –

सारणी 2.3

जिले की शैक्षिक संस्थायें

क्रम सं.	शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	2138	101	2239	198	174	372	2336	275	2611
2	मा0 वि0 से सबद्ध प्रा0 अनुभाग							0	0	0
3	उच्च प्रा0 वि0	417	25	442	177	95	272	594	120	714
4	मा0 वि0 से सबद्ध उ0प्रा0 अनुभाग	14	14	28	40	39	79	54	53	107
5	केन्द्रीय वि0		1	1				0	1	1
6	नवोदय वि0		1	1				0	1	1
7	हाईस्कूल	8	5	13	21	13	34	29	18	47
8	इन्टरमीडिएट	6	9	15	19	28	45	25	35	60
9	डिग्री कालेज		2	2	1	5	6	1	7	8
10	स्नातकोत्तर महा वि0	1		1		3	3	1	3	4
11	विश्व वि0							0	0	0
12	तकनीकि सस्थान 1. आई टी आई	2		2		1	1	2	1	3
	2. पालिटेक्निक		1	1				0	1	1
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें		2	2				0	2	2
14	आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	1860		1860				1860	0	1860
15	मकतब/मदरसे		4	4	10	13	23	10	17	27
16	संस्कृत पाठशालायें	1		1	7	10	17	8	10	18
17	मूक बधिर विद्यालय							0	0	0
18	बाल श्रमिक							0	0	0
19	खण्ड ससाधन केन्द्र	19		19				19	0	19
20	न्याय पचायत ससाधन केन्द्र	219		219				219	0	219
21	जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण सस्थान		1	1					1	1

शिक्षको की उपलब्धता

जनपद में परिषदीय प्रा0 वि0 मे कुल 7295 शिक्षकों के पद सृजित है। जिसके सापेक्ष कुल 4160 शिक्षक कार्यरत है । 1 जुलाई 2000 को मानक निर्धारित करते हुए जनपद में 3135 प्राथमिक स्तर पर परिषदीय शिक्षकों के पद रिक्त है । जनपद में अब तक 955 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किये गये है । जनपद में उच्च प्राथिमिक विद्यालयों में कुल 1959 शिक्षकों के पद सृजित है जिनके 1485 शिक्षक कार्यरत है तथा 474 पद रिक्त है ।

सारणी 2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षामित्र की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	7295	4160	3135	955
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1959	1485	474	.....

स्रोत : विभागीय ऑकड़े

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयो की उपलब्धता

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाल ग्रामों की संख्या 2496 है । इसमें से 1751 ग्रामों में 1 कि. मी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है । 1 कि. मी. से अधिक तथा 1.5 कि. मी. से कम दूरी पर 348 ऐसे ग्राम है जहॉ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है साथ ही 22 ऐसे ग्राम है जहॉ पर 1.5 कि. मी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है । (सारणी संख्या 2.5)

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाली 3039 बस्तियां है इनमें 2472 बस्तियों मे 1 कि. मी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय है । 560 बस्तियों मे 1 कि. मी. से अधिक एवं 1.5 कि. मी. से कम दूरी पर प्राथमिक उपलब्ध है तथा 07 ऐसी बस्तियां है जहॉ पर 1.5 कि. मी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयो की उपलब्धता

जनपद में 800 की आबादी से अधिक ग्रामों की संख्या 1299 है । इनमें 129 ऐसे ग्राम है जहॉ पर 3 कि. मी. की परिधि में पूर्व माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है । उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1 : 2 करने पर जनपद में 538 उच्च प्राथमिक विद्यालय की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकता पडेगी । जनपद में 800 से अधिक आबादी वाल 372 बस्तियों मे 3 कि. मी. की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है ।

सारणी 2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि.मी. से कम की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि. मी. से अधिक दूरी पर विद्यालय
ऐसे ग्रामो की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	1751	348	22
ऐसी बस्तियो की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	2472	560	07

सारणी 2.6

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 कि.मी. से कम की दूरी पर परिषदीय / मा0 प्र0 उ0 प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिषदीय उ0 प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	उ0 प्रा0 तथा प्राथमिक वि0 अनु0 1 : 2 करने हेतु अतिरिक्त आवश्य उ0 प्र0 विद्यालयं की संख्या
ऐसे ग्रामो की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	758	129	538
ऐसी बस्तियो की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	372	—	—

सारणी – 2.7

उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता

21 के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता		
वर्तमान में उपलब्ध परिक्षेत्रीय विद्यालय	=	2138
सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय	=	29
योग	=	2167
1 2 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	=	1083
वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	=	417
जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता (1083 – 417)	=	666
अत नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	=	666

छात्र नामाकंन

जनपद में 6 – 11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 563890 है इसमें 316719 बालक एवं 247171 बालिकायें है । जनपद का नामाकंन अनुपात 91 : 87 प्रतिशत है । जनपद में 6 – 11 वय वर्ग की संख्या 563890 के सापेक्ष परिषदीय / मान्यता प्राप्त / गैर मान्यता प्राप्त विद्यायलयों में 518063 बच्चों का नामाकंन हो चुका है ।

जनपद में 11 – 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 171007 है इसमें 101691 बालक एवं 69377 बालिकाओं की संख्या सम्मिलित है । 11 – 14 वय वर्ग के बच्चों की सख्यां 171007 के सापेक्ष परिषदीय / मान्यता प्राप्त / गैर मान्यता प्राप्त विद्यायलयें में 132188 बच्चें नामाकित है। जनपद में पूर्व माध्यमिक स्तर पर नामाकंन का अनुपात 77 : 29 प्रतिशत है ।

जनपद में प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामाकंन की दर 91 : 87 प्रतिशत है । जनपद में प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर 34.4 प्रतिशत है ।

विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधायें

जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में भवन उपलब्ध है । जिनमें 75 प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण होना है । प्राथमिक स्तर पर जनपद में 70 एक कक्षीय व 940 दो कक्षीय विद्यालय है । तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या 1011 है तथा चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या 71 है व पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या 8 है । जनपद में प्राथिमिक स्तर पर 2078 विद्यालयों में शौचालय, 2091 विद्यालयों में हैण्ड पम्प उपलब्ध है । जब कि 113 प्राथिमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है । 176 प्राथिमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत व 478 में लघु मरम्मत की आवश्यकता है ।

उच्च प्राथिमिक स्तर पर जनपद में 442 परिषदीय वि0 संचालित है जिनमें सभी विद्यालय भवन युक्त है । 418 विद्यालयो में शौचालय 417 विद्यालयों मे हैण्ड पम्प व 46 विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है ।

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष						मरम्मत				शौचालय			हैण्डपम्प			चाहरदीवारी		
		1	2	3	4	5	5+	लघु	वृहद	जर्जर	योग	युक्त	रहित	आवं	युक्त	रहित	आवं	युक्त	रहित	आवं
1	खैराबाद	3	23	81	7			87	8	6	101	105	9	9	112	2	2	2	112	112
2	एंतिया	5	49	59				72	10	2	84	110	3	3	101	12	12		113	113
3	पसेन्डी	5	95	18	1			35	8	5	48	108	10	10	114	5	5	3	117	117
4	हसगांव	1	42	66	3	1		36	15	6	57	116	4	4	111	9	9	8	112	112
5	मिश्रित	2	25	68	7			12	13	4	29	107	4	4	107	4	4	11	100	100
6	पिसावां	3	58	68	4			11	5	4	20	129	2	2	131			5	126	126
7	महोली	16	9	69	17			30		6	36	91	24	24	98	17	17		114	114
8	मछरेहटा	4	39	69	1			25	14		39	95	18	18	107	6	6	2	111	111
9	गोन्दलामऊ	2	9	27	4			15	16		31	116	7	7	110	13	13	5	118	118
10	सिधौली	1	33	28				22	10	8	40	112			105	7	7	3	109	109
11	कसमन्डा		72	26	7	1		28	5	5	38	104	2	2	103	3	3		106	106
12	महमूदाबाद	4	28	58	2			10	31	8	49	98	3	3	98	3	3	7	97	97
13	रामपुरमथुरा	7	78	22	1			8	6	5	19	98	10	10	95	13	13	1	107	107
14	पहला	3	19	83	3			13	3	2	18	103	5	5	106	2	2	6	102	102
15	बिसवां	6	94	46				11	12	4	27	136	8	8	136	10	10	4	142	142
16	रेउसा	2	57	54	5			5	2	2	9	101	14	14	106	8	8	5	113	113
17	सकरन	2	61	40				5	7	3	15	101	2	2	103			3	100	100
18	लहरपुर	3	25	63	4			16	4	3	23	97	6	6	100	3	3	3	100	100
19	बेहटा		81	27	1			37	7	2	46	96	15	15	101	10	10	3	108	108
	योग	69	945	972	67	2	0	478	176	75	729	2025	146	146	2044	127	127	71	2107	2107

उच्च प्राथिमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क.सं.	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष						मरम्मत			शौचालय			हैन्डपम्प			चाहरदीवारी		
		1	2	3	4	5	5+	वृहद	लघु	योग	युक्त	रहित	आव0	युक्त	रहित	आव0	युक्त	रहित	आव
1	खैराबाद			5	22		2		15	15	29			29			2	27	27
2	ऐलिया				17	3		2	18	20	20			20				20	20
3	परसेन्डी			14	11	2	1	2	9	11	26	2	2	26	2	2		28	28
4	हरगांव				21	1	2	3	10	13	24			23	1	1	1	23	-23
5	मिश्रित				23	2		3	2	5	25			25			4	21	21
6	पिसावां				21		3	4		4	23	1		24			5	19	19
7	महोली			19	2		1	2	3	5	22			21	1	1	1	21	21
8	मछरेहटा				19	1	1	2	4	6	20	1		20	1	1	2	19	19
9	गोन्दलामऊ			18	2	1		3	4	7	18	2	2	18	3	3		21	21
10	सिंधौली	1	1	1	12			1	4	5	15	3	3	15	3	3		18	18
11	कसमन्डा		2		16	1		2		2	19			19				19	19
12	महमूदाबाद				21	2		2		2	22	1	1	21	2	2	3	20	20
13	रामपुरमथुरा			16	2	1			3	3	19		1	17	2	2		19	19
14	पहला			1	14			1	1	2	13	2	2	13	2	2	1	14	14
15	बिसवां			12	4	4	2	2	5	7	22			22			6	20	20
16	रेउसा			18	1	1			1	1	16	6	6	17	5	5	1	21	21
17	सकरन			22					2	2	21	1	1	22			1	21	21
18	लहरपुर				16	1	1	1		1	18		1	18				19	19
19	बेहटा			19	2	1			5	5	20	2	2	22			1	21	21
	योग	1	3	145	226	21	13	30	86	116	393	21	21	392	22	22	26	391	391

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी

जनपद में विभागीय मानक के अनुसार 29 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है जबकि 75 विद्यालयों का पुनः निमार्ण कराया जाना अपेक्षित है । छात्र संख्या के आधार पर 1063 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता प्राथमिक स्तर पर है । इसमें सर्वाधिक अतिरिक्त कक्षा कक्ष विकास खण्ड बिसवां , रामपुर मथुरा , परसेण्डी में निर्मित होना है । 148 ऐसे विद्यालय जनपद में है जहॉ पर पेय जल सुविधा की आवश्यकता है जबकि 161 विद्यालय शौचालय विहीन है । जनपद में 2126 प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी की आवश्यकता है ।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर 24 विद्यालयों में शौचालय, 25 विद्यालयों मे हैण्डपम्प एवं 396 विद्यालयों में चहरदीवारी की आवश्यकता होगी । जनपद प्राथमिक : उच्च प्राथमिक अनुपात 1 : 2 को मानक मानते हुए 538 उच्च प्राथमिक की आवश्यकता होगी :

मरम्मत की दृष्टि से जनपद में 87 उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे लघु मरम्मत एवं 313 माध्यमेक प्राथमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता पडेगी । 1 : 2 के मानक को पूरा करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर 538 नवीन विद्यालय की आवश्यकता है ।

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	29	—	29	538	—	538
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	75	—	75		—	
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1063	—	1063	126	—	126
4.	पेयजल	143	—	148	25	—	25
5.	शौचालय	161	—	161	24	—	24
6.	चाहारदीवारी	2126	—	2126	396	—	396

स्रोत– विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद–सीतापुर

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एन0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है :

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
कक्षा 1	91847	99337	96779	99168
कक्षा 2	84579	100542	89885	100138
कक्षा 3	72744	87587	96727	104206
कक्षा 4	53379	62553	72528	84389
कक्षा 5	44661	43463	47677	55020
योग	347210	393482	403596	442921
जी0ई0आर0	75.31	82.80	75.95	102.42
एन0ई0आर0	55.96	63.55	72.25	94.42

जनपद के नामांकन में औसतन 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समंतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	1672	2239	34%
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	4272	7295	71%

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 5 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	0.50	0.50	13.93	18.58	--	---
1999	9.51	3.83	17.21	23.81	45.1	68
2000	0.50	0.50	12.72	24.12	34.4	41

प्राथनिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर घटकर 34.4 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	----	6.54
1999	----	7.37
2000	----	6.87

प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.87 वर्ष ही लग रहे हैं, इसमें और कमी लायी जानी है तथा इसके लिए शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि की जानी होगी।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — **1 : 111**

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — **45.71%**

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — **1:64**

जनपद सीतापुर में अध्यापकों की सदैव कमी रही है। यद्यपि पारियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये तथा इसके अतिरिक्त शिक्षामित्रों के काफी पद सृजित किये गये। छात्र–अध्यापक अनुपात तथा एकल अध्यापकीय विद्यालय अभी भी काफी मात्रा में हैं। शिक्षामित्रों की विद्यालय में तैनाती अब पूर्ण हो रही है। फलस्वरूप जी0ई0आर एवं एकल अध्यापकीय विद्यालय में कमी आयेगी। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:111 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेषरूप से अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:64 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–सीतापुर

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	14087	11325	5670	31082	-
1999-2000	17752	13702	11218	42672	37.2
2000-2001	24910	16940	10950	52800	23.7

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असंवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	21672	14087	-
1999-2000	30492	17752	82%
2000-2001	34148	24910	81%

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण लगभग 19% बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	285	442	55%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	1327	1859	40%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्या उच्च प्र विद्याल अनुपा
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	2138	417	54	471	4.5 : 1
नगर क्षेत्र	101	25	53	78	1.3 : 1
योग	**2239**	**442**	**107**	**549**	**4.07 :**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चे को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:4.5 है।

सीतापुर

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया –

सर्वशिक्षा अभियान सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षण पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो केन्द्र सरकार व राज्य द्वारा पोषित होगा। यह एक दीर्घ कालीन 10 वर्षीय योजना है जिसका लक्ष्य एक समय बाद सुनियोजित तरीके से शिक्षा के प्रति समाज को जाग्रत करके सभी 6–14 वय दर्ग के बच्चों को विद्यालय भेजना है।

यह बस्तियों की कार्य योजना पर आधारित एकीकृत कार्यक्रन है। साथ ही लिंग भेद, वर्ण, सम्प्रदाय आदि को समाप्त करने के लक्ष्य को लेकर प्रारम्भ किया गया है। जिसका एकीकरण बस्ती, विकास क्षेत्र व जनपद स्तर पर किया जायेगा।

पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों से सर्व शिक्षा अभियान में व्यापक अन्तर है यह एक युद्ध स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत निर्धारित समय में नामांकन का लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है साथ ही साथ शालात्याग की दर को भी शून्य तक लाना मुख्य उद्देश्य है पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों में शालात्याग शून्य करने के कई प्रयास किये गये परन्तु इसमें अपेक्षित सफलता नही हुई सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शत् प्रतिशत नामांकन एवं शालात्याग की दर 2003 तक शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद की दीर्घ कालीन योजना करते समय 30 प्राथमिक बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत किये गये प्रयासों को पूर्ण उपभोग किया गया है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत, सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को, विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम मे बस्तियों की सूची तैयार की गई।

वस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूस चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से वस्ती तथा प्रत्येक परिवार सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया औ एकत्रित सूचनाओं/आँकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गईं।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य

समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गईं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे
(स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, ज नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है। तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं उ बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचा शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया हैं इ प्रकार सर्वे शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रि कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हु उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये है। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका क अध्याय–7 में दर्शाया गया हैं नगर क्षेत्र में यूनीसेफ द्वारा कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण कराय गया हैं और उससे प्राप्त आँकड़ों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान में किया जायगा।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वार समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन व अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजन 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किय जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओ का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हे किया जायेगा। सूक्ष्म नियोजन आँकड़ों को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जायेगा। तथा इनका उपयो आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के निर्माण के समय EGS / AIE कार्यक्रम के निर्धारण किया जायेगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ो का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजन पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण काय्र प्रारम्भ कर दिया गया है ज प्रगति पर हैं। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ो का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथ निष्कर्षों का उपयोग वष्र 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किय जायेगा।

स्कूल चलो अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 6–14 आयु वर्ग के सभ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलों अभियान चलाय गया। यह अभियान दा चरणों में संचालित किया गया यथा – प्रथम चरण एक जुलाई से 0 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 9 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इमें विभिन्न विभागों के अधिकारयं एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्ष के सार्वजनीकरण में सहायता करने हेतु उनका आह्ववान किया गया। उसी समय विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक तथा नव निर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलों अभियान

आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 08 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी, जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया जो विद्यालय नही जाते है।

उक्त अभियान में शासन द्वारा नामित प्रभारी माननीय मंत्री श्री बाबू राम हरित जी द्वारा जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सम्बोधन में बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ाने विशेष रूप से सभी बालिकाओं को विद्यालय लाने तथा उनके स्कूल में ठहराव पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जनजागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर है स्कूल भेज सके।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनबाडी, कार्यकत्रियों, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया। इस प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि वे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे है अथवा स्कूल से बाहर है या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके है।

उपरोक्त टीमों के कार्यो का पर्यवेक्षण करने के लिये विकास खण्ड की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तगत आच्छादित होने से छूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 416 ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 83 वार्डो के कुल 262536 परिवारों में बालगणना का कार्य किया गया। इसमें 6-14 वय वर्ग के कुल 339409 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें से 6-11 वय वर्ग 217621 के बच्चे थे।

द्वितीय चरण -

उपरोक्त सभी चिन्हित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया गया और जि अभिभावकों के बच्चे विद्यालयों में नही जा रहे थे उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेरि किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी साथ-साथ समय-समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गह भ्रमण किया गया। विद्यालय के बाहर बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने हेतु प्रत्ये विकास खण्ड में गोष्ठियां की गयी। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों व टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर-घर जाकर जन सम्पर्क किया। इस फलस्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6-11 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों चिन्हांकित किया गया। और इनमें से कुल 488921 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन करा गया। इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग के कुल 118476 का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर कराया गया। इस प्रकार अभियान के अंत में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या निम्नलिखि सारणी में दर्शायी गई है जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय में नामांकित कि जायेगा।

वय वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वा बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	य
6-11 वय वर्ग	316719	247171	563890	272407	216514	488921	44312	30657	74
11-14 वय वर्ग	101691	69377	171068	73637	42839	116476	28054	26538	54

सर्व प्रथम जिले में सर्वशिक्षा अभियान की कार्य योजना तैयार करने हेतु एक र सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्नवत् हैं।

1. प्रचार्य, डायट
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3. लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा
4. प्राचार्य, डायट

5. जनपद से एक चयनित परियोजनाधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)

6. वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट

7. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त टीम ने सीमेट इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया तथा योजना तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कियां तत्पश्यात् जिले स्तर पर समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयकों की संयुक्त बैठक आहुत क गयी जिसमें परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के आधार पर बस्तियों की चिन्हांकन विकास खण्डवार असेवित बस्तियों, स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हिकरण, शालात्यागी बच्चे का चिन्हिकरण, काम काजी बच्चों का चिन्हिकरण किया गया। तत्पश्चात् कोर ग्रुप के सदस्यों ने चिन्हांकित बस्तियों में बैठक (एम.जी.डी.) की जिसमें बस्ती विशेष की मूल समस्याएं उभर कर आती जिसके आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एव नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया।

इसी क्रम में ब्लाक स्तर पर प्रधानों की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गयी जिसमें समुदाय मे शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एव सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा के प्रति उनकी अपेक्षाओं से सम्बन्धित तथ्य पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं के परिपेष्य में आध्यापकों के साथ बैठक की गयी एवं दिस्तार से विचार विमश्र किया गया। प्रयास यह किया गया कि शिक्ष क्षेत्र में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाई जाये तथ लड़कियों एव शाला त्यागी बच्चों को उनकी सुविधानुसार शिक्षण कार्य करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। इसके पश्चात् विकास खण्ड स्तर पर एक योजना तैयार की गयी जिसमें विकास खण्ड अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग लिया गया जिससे योजना के अन्तिम रूप दिया जा सका। स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने विशेषकर बालिकाओं के ठहराव पर दिया जाता हैं और तद्नुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता हैं जिसके लिये सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते है। आगे भी स्कूल चलों अीियान में मुख्य बल नामांकन क अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा ताकि नामांकित बालिकायें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के उपरान्त ही विद्यालय छोडे।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समन्वय बैठक की गयी जिसमें जिले की शिक्षा के परिदृश्य में समस्याओं एवं उसे समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करनेके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी विभिन्न बैठकों (एफ.जी.डी.) में समस्याएं एवं सुझाव उभरकर सामने आये उन्हे निम्न सारणी में दिया गया है –

नियोजन प्रक्रिया मे सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्रम0सं	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर / ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण एवं सं0	बैठक / विचार विमर्श मे जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	ग्राम स्तर	13.02.2001	चांदपुर फरीदपुर राम0मथुरा	अधिकारी 2 गणमान्य व्यक्ति 5 ग्राम प्रधान 2 अभिभावक 3 अध्यापक 6	1 विद्यालयो की चहारदीवारी बनवायी जाये ताकि बालिकाये विद्यालय में अधिक सुरक्षित रह सके 2 घरेलू कार्यवश बालिकाये वि0 नही आती । 3 बालिकाओ को अपने छोटे–2 भाई बहनो को घर पर रखना पडता है । 4 अल्पआयु मे बालिकाओं की शादी करा दी जाती है 5. विद्यालय में खेल सामग्री का न होना । 6 उ0प्रा0 वि0 का अधिक दूर होना जिसके कारण कक्षा 5 के बाद बालिकाये शिक्षासे वंचित हो जाती है ।
2.	ग्राम स्तर	16.02.2001	प्र0 वि0 तिलपुरा राम0 मथुरा	अध्यापक 7 अधिकारी 2 गणमान्य व्यक्ति 7 ग्राम प्रधान 2 अभिभावक 7 (3म. + 4 पु.)	1 चहारदीवारी की व्यवस्था की जाये । 2 विज्ञान का शिक्षण प्रयोगो के द्वारा हो । 3 सुयोग्य अध्यापको का दल बनाया जाये जो समय – 2 पर अन्य विद्यालयो मे जाकर शिक्षण कार्य करे। जिसमे महिला सदस्य भी हो । 4 बच्चो की सुरक्षा का प्रबन्ध हो खासकर बालिकाये विद्यालय में सुरक्षित महसूस नही करती उन्हे सुरक्षा दीजाये । 5 विकास क्षेत्र अत्यन्त पिछडा है अतः अभिभावको मे शिक्षा के प्रति जागरूकता नही है कार्यशालाये की जाये उन्हे जागृत किया जाये ।
3.	ग्राम स्तर	13.02.2001	पू.मा वि. गुरदपा हसांव	अधिकारी 1 गण्मान्य व्यक्ति 7 ग्राम प्रधान 3 अध्यापक 9	1 अध्यापक विद्यालय में समय से नही आते उन्हे इसके लिये प्रेरित किया जाये । 2. वे निश्चित आवधि तक विद्यालयमेंरहेएवं कार्य करे। 3 बच्चो के नामांकन की दर से अतिरिक्त शिक्षण कक्ष प्रदान किये जाये। विशेष रूप से जहां बालिकाये अधिक है उन्हे अतिरिक्त कक्ष आवश्य दीये जाये। 4 प्रा0 वि0 मे पांच अध्यापक अवश्य हो । 5 जो भवन जीर्ण शीर्ण है उनकी मरम्मत करायी जाये
4.	ग्राम स्तर	16.02.2001	पू.मावि महादेव अटरा हसांव	अधिकारी 3 गण्मान्य व्यक्ति 6 सदस्य ग्रामसभा 4	1 छात्रवृत्ति के आलावा गण्वेश दिया जाये. 2. विद्यालय मे 3 बार उपस्थिति प्रतिदिन लयायीजाये 3 पूर्व मे प्रति वि0 शौचालय बनवाये गये है उनकी

क्रम0सं	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर / ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण एवं सं0	बैठक / विचार विमर्श मे जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
				अभिभावक 9	सफाई। न्हो होती जिससे वह निष्प्रभावी है, अशकालिक सफाई कर्मी रखे जाये । 4 शिक्षा जीवन से जुड नही पा रही है अतः बालिकाये एवं कामकाजी बालक शिक्षा की बजाय काम को अधिक महत्वपूर्ण समझते है शिक्षा के अकर्षण को बढाया जाये ।
5	नगर स्तर	13.02.2001	कार्यालय टाउन एरिया, तम्बौर	अधिकारी 5 जनप्रतिनिधि 3 इटर कालेज के प्रधानाचार्य 2 सदस्य न0 शि0 स0 11	1 न0 क्षे0 के वि0 आर्कषण विहीन है उन्हे आर्कषक बनाया जाये । 2 अध्यापक शिक्षण कार्य की अपेक्षा अपने व्यापार मे लगे रहते है इसे समाप्त कराया जाये। तथा उन्हे प्रेरित कि वे विद्यालय न आने वाले बच्चो के अभिभावको से सम्पर्क अवश्य करे । 3 अधिकारियो द्वारा सतत निरीक्षण किया जाता रहे । 4 विद्यालय की मान्यताये शर्त पूरी होने के बाद ही दी जाये । 5 परि0 वि0 मे अध्यापको को निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाये ।
6	ग्राम स्तर	13.02.2001	ग्रा. प. भ. जहाँगीराबाद बिसवाँ	अधिकारी 1 अभिभावक 9 ग्राम प्रधान 3 अध्यापक 7	1 छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग के गरीब बच्चो को नही दी जाती है जिसके कारण बच्चे उपेक्षित अनुभव करते है। उन्हे छात्रवृत्ति दी जाये 2 साक्षरता केन्द्र के माध्यम से अभिभावको को भी शिक्षित करने की व्यवस्था की जाये ताकि वे शिक्षा को प्राथमिता से ले सके । 3 बच्चो को पोषाहार न देकर के मध्यान अवकाश मे उन्हे नाश्ते के रूप मे पौष्टिक आहार प्रतिदिन दिया जाये । 4 नैतिक शिक्षा के पाठ वि0 के प्रारम्भ एवं समापन के समय अवश्य पढाये जाये ।
7.	नगर स्तर	12.02.2001	टा.ए. हरगाव	अधिकारी 2 इ. का. के प्रधानाचार्य 2 गणमान्य व्यक्ति 4 अध्यापक 12 सदस्य न.शि.स 10	1 न. क्षे. के प्रत्येक विद्यालय की चहारदीवारी बनवाई जाये जिससे बालिकाये शिक्षा के प्रति आकृष्टहो। 2 मान्यता प्राप्त वि. के बच्चो को भी पुष्टाहार दियाजाये 3 वि मे बच्चो की दैनन्दिनी तैयार करायी जाये जिसमे उनके व्यवहार एवं कमजोरी, अच्छाई अंकित की जाये 4 काम न करने पर न.क्षे. के अध्यापको को ग्रा0 क्षे0 के विद्यालयो मे स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाये ।

क्रम0सं	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर / ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण एवं सं0	बैठक / विचार विमर्श मे जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
					5. शिक्षको का ठहराव प्राय: अधिक हो जाता है जिससे वह निष्क्रिय हो जाते है उनका स्थानान्तरण तीन वर्ष के अन्तराल मे अवश्य किया जाये ।
8	ग्राम स्तर	21.02.2001	ग्रा. प. म. बेनियापुर पिसावा	ग्राम प्रधान 3 सदस्य ग्रा.पं. 7 अध्यापक 1 अभिभावक 17 गणमान्य व्यक्ति 9	1 जोबच्चे वि0 शिक्षा बीच मे ही छोड देते है उनके अभिभावको को प्रेरित कर उनके बच्चो को पुन. विद्यालय मे लाया जाये । 2 बच्चो को छात्र वृत्ति के अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप मे भी कुछ न कुछ धन अवश्य दिया जाये इससे उनमे अच्छे कार्य करने की भावना जागृत होगी । 3 नि:शुल्क बटने वाली पुस्तके सामान्य वर्ग के गरीब बच्चो को भी दी जाये । 4 कक्षा एक व दो मे 40 बच्चो पर एक अध्यापक अवश्य किया जाये । 5 महिल अध्यापको को तीन वर्ष बाद अवश्य स्थानान्तरि किया जाये जिससे बालिका शिक्षा के प्रति लगन बनी रहे
9.	ग्राम स्तर	03.02.2001	ग्रा. पं. म. बीहटगौड पिसावां	अधिकारी 2 प्रधान 5 अध्यापक 10 अभिभावक 21 गणमान्य व्यक्ति 9	1. अरबी मदरसो मे पढने वाले बच्चो की परिक्षा कक्षा पांच की परीक्षा के साथ ही करा ली जाये जिससे वे मुख्य धारा से जुड सके । 2. वि. क्षे. मे विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति की जाये जं बच्चो मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सके । 3 अन्य सामान्य तत्थो पर विचार किया गया।
10	ब्लाक स्तर	12.02.2001	बी.आर सी. पिसावा	अधिकारी 2 संकुल प्रभारी 7 प्र0 अ0 7 ख0वि0अ0 पिसावां ए.डी.ओ. पिसावा 3 जे.ई. (आर.ई.एस.)	1 अध्यापको से अन्य कार्य बहुत लिये जाते है जिसके कारण शिक्षण कार्य पर ध्यान नही दे पाते है। 2 प्रा0 वि0 एवं उ0मा0वि0 मे 5 –5 अध्यापक अवश्य दिये जाये । 3. प्रशिक्षण मे आधुनिक शिक्षण तकनीक की जानकारी दी जाये तथा वि मे तकनीक से सम्बधित संसाधनभी दिये जाये । 4. प्राशासनिक अधिकारीयो को वि. मे पडे घुर आदि हटाने मे सहयोग देना चाहिये । 5. नैतिक शिक्षा देने के लिये ब्लाक स्तर पर अध्यापक / अध्यापिका नियुक्ति किये जाये । 6. विद्यालय परिवेश सुरम्य एवं वृक्षो से घिरा हुआ बनाया जाये ताकि बच्चे वि0 मे खुशी –2 आ सके ।

क्रम0सं	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर / ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण एवं सं0	बैठक / विचार विमर्श मे जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
11.	जिला स्तर	14.02.2001	कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर	अधिकारी 32 जिलाधिकारी मुख्य वि. अधिकारी अन्य विभागो के अधिकारी	1 विभागीय योजनाओ को त्वरित गति से कियान्वित किया जाये । 2 जहां –2 आँगनबाड़ी कार्यकत्री नियुक्ति है उन्हे वि. प्रांगण मे ही पढाने हेतु अदेशित किया जाये । 3 बच्चो की झिझक मिटाने का प्रयास किया जाये। 4 उन अध्यापको को दण्डित किया जाये जो समय से वि0 नही आते है। 5. जिन गांवो की जनसंख्या 1हजार से कम है वहां पर ग्राम की ही किसी शिक्षित एवं गरीब महिला की नियुक्ति अध्यापन कार्य हेतु ई. जी. एस. के अर्न्तगत की जाये । 6. गैर सरकारी संगठन नेहरू युवा केन्द्र महिला समाख्या आदि से अभिभावको को प्रेरित कराया जाये तथा बच्चो को अधिकाधिक सख्या मे विद्यालय लाया जाये । 7 विद्यालय भवनो को शैक्षिक दृष्टि से सुसज्जित किया जाये ताकि बच्चे स्वत पढने के लिये प्रेरित हो ।
14.	जिला स्तर	01.03.2001	विकास भवन सभागार	उ.बे.शि.अ. 3 प्र. जी.आई.सी. जी.जी.आई.सी. प्र. डायट एव अन्य अधिकारी	1. निरीक्षण अधिकारियो का अधिक से अधिक शैक्षिक सहयोग देने हेतु प्रेरित किया जाये । 2 प्रशिक्षणोपरान्त अध्यापको को उसका अनुकरण करते हुये समय अधिकारियो के द्वारा फीड बैक प्रदान किया जाये 3 शिक्षा मित्रो की नियुक्ति छात्र संख्या के हिसाब से की जाये 4 बच्चो को रूचिकर विधियो से खेल –2 मे पढाया जाये 5. वि0 मे शिक्षण कक्ष की दिवारो को नीचे से 90 से. मी. तक काला कराया जाये ताकि छोटे बच्चे उस काले बोर्ड पर अपनी भावनाओ को व्यक्त कर सके 6. छात्र वृत्ति एवं पोषाहार का वितरण निर्धारित तिथियो तक करा दिया जाये ।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.4 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – सीतापुर

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	285596	253264	538860	259892	230470	490363	91
2001-02	292450	259342	551793	280752	248969	529721	96
2002-03	299469	265567	565036	302464	268222	570686	101
2003-04	306656	271940	578597	321989	285537	607526	105
2004-05	314016	278467	592483	342278	303529	645806	109
2005-06	321553	285150	606702	360139	319368	679507	112
2006-07	329270	291994	621263	378660	335793	714453	115
2007-08	337172	299001	636174	394492	349832	744323	117
2008-09	345264	306177	651442	410865	364351	775216	119
2009-10	353551	313526	667076	424261	376231	800492	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – सीतापुर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	118839	105385	224224	70115	62177	132292	59
2001-02	121691	107914	229605	83967	74461	158428	69
2002-03	124612	110504	235116	95951	85088	181039	77
2003-04	127602	113156	240759	108462	96183	204645	85
2004-05	130665	115872	246537	118905	105444	224349	91
2005-06	133801	118653	252454	128449	113907	242356	96
2006-07	137012	121501	258513	137012	121501	258513	100
2007-08	140300	124417	264717	144509	128149	272658	103
2008-09	143668	127403	271070	152288	135047	287334	106
2009-10	147116	130460	277576	158885	140897	299782	108

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की ग्राम संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	34	25
2001-02	30	23
2002-03	26	20
2003-04	21	17
2004-05	16	14
2005-06	11	11
2006-07	5	8
2007-08	0	5
2008-09	0	3
2009-10	0	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय – 5

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद मे विभिन्न स्तरो पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कस्न में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनो के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गई है इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति नये भवनो का निर्माण जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत हैन्डपम्प एवम शौचालयो का निर्माण, विद्यालयो का सौन्दर्यीकरण एवम विद्यालयो के सुदृढीकरण का निम्नवत् प्रयास किया गया । सर्व शिक्षा अभियान का केन्द्र बिन्दु यह है कि इसमें स्कूल के बाहर सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा तथा इन बच्चों का ठहराव बनाये रक्खा जायेगा इससे प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता में समुचित वृद्धि की जायेगी।

	समस्याएं	रणनीति
1	आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	सामाजिक चेतना उत्पन्न करना जिससे बच्चो एवं उनके अभिभावकों की सोच मे बदलाव हो सके । इस कार्य मे महिला मंगल दल, महिला स्वास्थ्य बाल विकास परियोजना की कार्यकत्री, ए एन एम कलाजत्था जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियो की सहभागिता एवम जागरूक व्यक्तियो के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी ।
2	शिक्षा की उपदेशता संदिग्ध है	पूर्व माध्यमिक विद्यालयो मके व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमो को जोड़ा जायेगा जिससे छात्रो को स्वसवलम्बन एव करके सीखने की आदत का विकास हो सके और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके । विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओ के लिये सिलाई कढाई, फलसरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट एवं नगरीय क्षेत्र एव इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्र मे मेहदी फाइनआर्ट, ब्यूटीपार्लर सिलाई कढाई, बुनाई, कटाई सिलाई, जूट कपडे के बैग आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा सिलाई शिक्षा के लिये मशीनो की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिये जनपद में पूर्व परियोजना प्रौढ शिक्षा के जन मिलियन कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई है। कढाई एव बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढग

		जनपद में पूर्व परियोजना प्रौढ शिक्षा के जन निलियम कार्यक्र उपलब्ध कराई गई है। कढाई एवं बुनाई की शिक्षा परम्परागत से न करा कर निटिंग मशीनो की सहायता से कराई जानी प्रस्ता है इसके लिये उक्त परियोजना में उपलब्ध निटिंग मशीनो की मर एवं रख रखाव विद्यालय अनुदान से कराया जायेगा ।
3.	असेवित एवं मलिन बस्तियो मे विद्यालय सुविधा का न होना	1.5 कि मी तथा 300 की आबादी वाले ग्रामो / बस्तियो में प्राथमि विद्यालयो की व्यवस्था की जायेगी तथा 6 से 8 वर्ग के 30 बच्चो में कि मी विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जा तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चो के लिए ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की स्थापना की जायेगी । नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवम् किराये भवनो में चलने वाले विद्यालय जहाँ छात्र संख्या कम है उन्हे असेवि मलिन बस्तियो में स्थानान्तरित कर पुन: स्थापित किया जायेगा । विद्यालय की पुन: स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये (DUDA एवम् सीतापुर विकास प्राधिकरण (SDA) का सहयोग लिया जायेगा
4.	भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले, जंगल आदि के कारण शिक्षा मे अवरोध	भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवम् वैकल्पिक / नवाचार शिक्ष केन्द्रो के खोले जाने तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा ।
5.	विद्यालयो में भौगोलिक संसाधनो का अभाव जैसे फर्नीचर, बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा – कक्षो की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल एवं चाहरदीवारी की कमी	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयो मे अतिरिक्त कक्षा कक्षो का निर्माण कराया जायेगा जिन विद्यालयो मे स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवम् चाहरदीवारी नही है वहाँ इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्रा0 विद्यालयो में बच्चो के बठने के लिए काष्ठोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11481
DOC, No. 09-07-2002.
Date

6.	शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चो मे जागरूकता का आभाव अभिभावक की यह सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुडे	शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना जब कि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ़ कर नौकरी करे यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है । इस सोच मे सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।
7.	बच्चो के व्यक्तित्व रूचि मे कमी	बच्चो को विद्यालय बोझ न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा जैसे खेल द्वारा शिक्षा क्रिया शील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समय विज्ञान चक्र को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर बच्चो में रूचि उत्पन्न करना सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रिया कलापो का समायोजन एवं क्षेत्र भ्रमण आदि का समावेष्टित किया जायेगा ।
8	शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व मे ह्रास	शिक्षक का छात्र / छात्रा के प्रति मृद व्यव्हार हो शिक्षक की छवि छात्र / छात्रा के मस्तिष्क मे सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ट प्रभावकारी हो । इस हेतु शिक्षक को प्रेस्ति किया जायेगा । शिक्षक को स्वाध्याय हेतु समय – समय प्रेरित किया जायेगा। जिससे उससे विषय वस्तु के ज्ञान मे लगातार वृद्धि हो तथा वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सके । शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल होना होगा । इसे प्रशिक्षण मे जोड़ा जायेगा ।
9.	विद्यालय के छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापको की कमी	ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जायेगी । 40 : 1 के अनुपात पर अध्यापको एवं शिक्षा मित्रो की व्यवस्था की जायेगी । पूर्व मा0 वि0 मे विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी जहाँ पर पूर्व मा0 वि0 के साथ प्रा0 वि0 संचालित हो सके वहाँ पूर्व मा0 वि0 का ही प्र0 अ0 सम्पूर्ण प्रबन्ध तन्त्र का संचालन करेगा । कक्षा 1 से 8 तक का एक समय विभाजन चक्र होगा जिससे सभी अध्यापक कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम से भाली भाँति परिचित होगे । इस प्रकार मा0 शिक्षा के साथ जुडने का प्रयास करेगे ।

10.	अध्यापक से अपने विभाग के कार्यो के साथ – 2 अन्य विभाग के कार्यो का निष्पादन कराया जाना	किन्हीं विशेष परिस्थितियो मे ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापको से कराये जाये । जिससे उनके शैक्षिणक कार्य मे व्यवधान न उत्पन्न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय मे आकर आपने कार्य की उपेक्षित महसूस न करे । अध्यापक को पठन पटान के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनया जायेगा । बच्चो की प्रगति मे अध्यापक की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी । कमजोर छात्रो को विद्यालय अवकाश के बाद शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । एम. एल. को आधार मानकर अध्यापक की सेव पंजिका मे वार्षिक प्रविष्टि की जायेगी तथा प्रतिकूल प्रविष्टि पर वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जायेगा । इस प्रकार अध्यापक की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी ।
11.	विद्यालय का वतावरण आकर्षक होना	बच्चो को समूह मे बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान मे 6 X 6 की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी । सहायक शिक्षण सामग्री बच्चो की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी इससे करके सिखने की क्षमता का विकास होगा । इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रागढ़ मे फूलो के पौधे रोपण कृषि एवं बागवानी सम्बन्धी कार्य छात्रो से कराये जायेगें । प्रत्येक कक्षा के लिये खेल कूद का सामान निर्धारित होगा । बच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा । जब बच्चो मे यह भावना जागृत होगी जो तो ड्रापआउट की समस्या स्वत हो जायेगी ।
12.	गरीबी के कारण छात्रो के पास पाठ्य पुस्तको का न होना	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रो को पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी जाने प्रस्तावित है ।
13.	अध्यापको का छात्रानुपात मानक के अनुरूप न होना	विद्यालय के अध्यापको की कमी अथवा अधिक छात्रो मे कम अध्यापको के कारण पठन पाठन मे गुणवत्ता का ह्रास बना रहता है। अत: 40 : 1 के मानक के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा

		प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो अध्यापक प्रस्तावित है । पूर्व मा0 वि0 में विषय अध्यापको की कमी के फलस्वरूप गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं संस्कृत / उर्दू की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है । बालिकाओ के लिये ग्रह विज्ञान के अध्यापको का आभाव है । गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अध्यापको की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
14	अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक सूचनाओ के संकलन में अधिक समय नष्ट न करे इसके लिए विभागीय सूचनाये विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी! सूचनाओ के पुष्टीकरण हेतु सम्बन्धित विद्यालयो को उपलब्ध करायी जायेगी इससे अध्यापको का बार–बार सूचनाये बनाने एवं उसे पहुँचाने में लगने वाला समय एवं श्रम कम होगा तथा ठहराव बना रहेगा !
15	अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरुचि	अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा! समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमे 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति मे दक्षता रोक / वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी ।
16	छात्रो की गणवेशो को उपेक्षित करना	गणवेश के आभाव मे विद्यालय परिवेश का अनुकूलन सम्भव नही है । साथ ही सामाजिक एकरूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है । प्रतिस्पर्धा मे व्यक्तिगत / नर्सरी विद्यालयो के छात्रो का वाह्य व्यक्तित्व अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयो से उदासीन हो जाते है अत: स्वच्छ गणवेश छात्र के वाह्य व्यक्तित्व को और अधिक मुखरित करेगी।

17.	अध्यापक अभिभावको एवं छात्रो मे समजस्य न होना	अभिभाक्को का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासि अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमे अधिकतर महिलाओ/वि कर अपवंचित / उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जाये । इस सम्मेलन मे कोटि पूरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा तथा उन विचारो / समस्याओ की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही क जायेगी । नियमित अभिभाक्क एवं अध्यापक गोष्ठी की जायेगी जिस शिक्षा समिति का विशेष योगदान रहेगा ।
18.	सतत् मूल्याकन का अभाव	कोटि पूरक शिक्षा के लिये सतत एवं प्रभावी मूल्याकन अति महत्वपू है । मूल्याकन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप मे कराया जायेगा । मूल्याकन के पश्चात कमजोर छात्रो के अभिभाक्को से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुट्टियो मे की जायेगी । प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रो को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियो द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा ।
19.	शैक्षिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण की कमी	एन. टी. आर. सी. एवं बी. आर. सी. के समन्वयक, प्रति उप0 वि0 निरीक्षक / स0 बे0 शि0 अधिकारी एवं डायट अन्तिकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा प्रभावी शिक्षण, निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जायेगा । निम्न श्रेणी के विद्यालयो को उच्च श्रेणी मे लाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेगे ।
20.	सक्रिय समाज सहभागिता का आभाव	अभिभाक्को / ग्रामवासियो मे यह सोच विकसित हो कि यह विद्यालय हमारा है विद्यालय मे अच्छी पढाई से ही हमारा हमारे बच्चो का भविष्य उज्वल होगा और इसी से आने वाले समय मे गाव की प्रगति हो सकेगी इस कार्य मे ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा । ग्राम पंचायते स्कूलो का सतत मूल्याकन करेगी साथ –2 पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

		करेगी । माइक्रो प्लानिंग एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु गाव के जानकार लोगो की मदद ली जायेगी । विद्यालय परिवेश मे सुधार हेतु गणवेश स्वच्छता अनुशासन विद्यालय की बागवानी एव साज सज्जा की सक्रिय सहभागिता ली जायेगी । अध्यापको के आभाव मे गाव के पढ़े लिखे लोगो की मदद ली जायेगी । उन्हे व्यवस्था देखने हेतु गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु विद्यालय मे आमन्त्रित किया जायेगा । गरीब बच्चो को गणवेश स्लेट कापी पेन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चो को पुरस्कार हेतु सामुदाय को प्रेरित किया जायेगा ।
21	विशेष अवश्यकता वाले अथवा विकलाग बच्चो के शिक्षण की व्यवस्था	विकलांग बच्चो का सर्वे करा कर बस्ती वार सूचना ली जायेगी मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए. डी. पी आई को बच्चो को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा । विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के प्रति अध्यापक को सवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा ।
22	बाल श्रमिक तथा अभिभावको मे शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	6 - 14 वय वर्ग के बच्चो तथा उनके अभिभावको का शिक्षा के महत्व की जानकारी दे कर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा जिससे बच्चा व्यवसाय मे न जाकर विद्यालय मे प्रवेश ले तथा शिक्षा पूर्ण करे । श्रम विभाग सर्वेक्षण कार्य द्वारा सचालित विद्यालयो के अध्यापको का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा द्वारा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध करा कर बच्चो को मुख्य धारा से उनकी योग्यता की परीक्षणोउपरान्त जोड़ा जायेगा ।
23	बच्चो के ठहराव को शत प्रतिशत रखना	अभिभावको की मासिक बैठक की जायेगी । जिसमे बच्चो की प्रगति से अभिभावक को अवगत कराया जायेगा । जिन बच्चो की औसत उपस्थिति कम होगी उनके अभिभाको को बच्चे को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जायेगा । साथ ही ग्राम शिक्षा समिति की बैठक मे विद्यालय मे कम उपस्थिति वाल बच्चो पर विचार विमर्श किया जायेगा जिसमे उनकी समस्याओ को ध्यान मे रखकर बच्चो को विद्यालय लाने हेतु यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा । विद्यालय परिसर को आर्कषक बनाया जायेगा । जिससे बच्चे विद्यालय की ओर आर्कषित हो ।

उपरोक्त समस्याओ के अतिरिक्त जनपद की भविष्य मे आने वाली शिक्षा सम्बन्धी समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुये रणनीति बनायी जायेगी ।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार –नवीन औपचारिक विद्यालय

सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत 6 – 11 व 11 – 14 वयवर्ग के बच्चो को विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु स्थागत विकास किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है –

नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापना

राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना ऐसी असेवित ग्रामो / बस्तियो में प्रस्तावित है जिनकी आबादी 300 तथा दूरी 1.5 कि.मी. अथवा इससे अधिक है । जनपद मे करायी गयी माइक्रो प्लानिग के आधार पर 29 असेवित बस्तियो व ग्रामो मे प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । शिक्षको को शिक्षण सामग्री तथा पाठ्य पुस्तिका का सेट, मानचित्र, चाक, डस्टर आदि के लिए 500/ प्रति शिक्षक की दर से अध्यापक अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । छात्रों को विज्ञान व गणित का अध्ययन कराने के लिये काष्ठोपकरण/उपस्कर विद्यालय में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

सारणी 6.1

विकास खण्डवार असेवित बस्तियां एवं शिक्षक शिक्षा मित्र

क्रम स0	विकास क्षेत्र का नाम	असेवित ग्राम/बस्तियो की संख्या	शिक्षक	शिक्षा मित्र
1	खैराबाद	03	3	3
2	ऐलिया	01	[illegible]	1
3	परसेण्डी	01		1
4	हरगाँव	03	[illegible]	3
5	मिश्रित	01		1
6	पिसावाँ	02	2	2
7	महोली	02		2
8	मछरेटा	02		2
9	गोदलामऊ	01	1	1
10	सिधौली	01	1	1
11	कसमण्डा	03	3	3
12	महमूदाबाद	01	1	1
13	रामपुर मथुरा	–	–	–
14	पहला	01	1	1
15	बिसवाँ	01	1	1
16	रेउसा	03	3	3
17	सकरन	01	1	1
18	लहरपुर	01	1	1
19	बेहटा	01	1	1
	योग	29	29	29

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 09 प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियों में स्थापित किये जाने का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

उपरोक्त सूची असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रस्त
बस्तियों का माप संलग्नक मे दिया गया है ।

स्थल चयन भवन निर्माण का कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा

शिक्षको की संख्या	29	शिक्षा मित्र	29
काष्ठोपकरण / उपस्कर	15000 प्रति विद्यालय		

प्रस्तावित कार्यक्रम का वर्षवार नियोजन

जनपद के कुल 29 असेवित बस्तियों मे जिनकी आबादी 300 से अधिक है, मे प्रा
विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2001 – 2002 में 19 प्राथमिक विद्यालय खोले
तथा 2002 – 2003 में 10 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य प्रस्ताव
स्थल चयन से लेकर निर्माण कार्य के लिए ग्राम शिक्षा समिमियों का वांछित सहयोग लिया ज
इन नवीन विद्यालयों के लिये वर्ष 2001 – 2002 में 19 अध्यापक एवं 19 शिक्षा मित्र तथा वर्ष
– 2003 में तक अध्यापक 10 एवं शिक्षा मित्र 10 का प्राविधान किया जायेगा । कुल 29 अ
व 29 शिक्षा मित्र रखे जाने का प्राविधान किया जायेगा ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना जैसा कि सारणी 2.7 मे दर्शाया गया है जनपद
प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और उसके अनुसा
538 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे । वर्षवार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय
प्रधान अध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक रखे जायेगे और काष्ठोपकरण आदि के लिये 2,
प्रति विद्यालय का प्राविधान किया गया है ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2001 – 2002 में 100, वर्ष 2002 – 2003 में 120, वर्ष
– 2004 में 118, वर्ष 2004 – 2005 में 100 एवं वर्ष 2005 – 2006 में 100 अर्थात वर्ष 2001 से
तक कुल 538 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे.

**वर्ष 2002–2007 की अवधि में 99 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का वित्तीय प्राविधा
गया है, जो मानक के अनुसार असेवित बस्तियों, जिनमें कक्षा–5 उत्तीर्ण कम से कम 25 बच्चें उपलब्
में खोले जायेंगे।**

उपरोक्त सूची असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है बस्तियों का माप संलग्नक मे दिया गया है ।

स्थल चयन तथा भवन निर्माण का कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा इसके अतिरिक्त काष्ठोपकरण, शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की जायेगी ।

सूची काष्ठोपकरण / उपस्कर प्राथमिक स्तर

1. कुर्सी – 3
2. मेज – 2 (एक बडी व एक छोटी)
3. रैक – 3
4. विज्ञान किट
5. गणित किट
6. टूल किट
7. मानचित्र (विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश, जनपद)
8. टाट पट्टी – 20
9. ग्लोब
10. घण्टा – मुगरी
11. बाल्टी
12. लोटा
13. गिलास
14. बक्सा – 1
15. अलमारी – 1
16. खेल सामग्री – वालीबाल , फुटबाल रिंग, कूदने की रस्सी
17. अभिलेख

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना जनपद में दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और उसके अनुसार कुल 666 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगे। वर्षवार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक रखे जायेगे और काष्ठोपकरण आदि के लिये 50,000 प्रति विद्यालय का प्राविधान किया गया है ।

सूची काष्ठोपकरण / उपस्कर उच्च प्राथमिक स्तर

1. कुर्सी – 5
2. मेज – 3 (एक बड़ी व दो छोटे)
3. रैक – 4
4. विज्ञान किट

5 मानचित्र (विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश, जनपद)
6. डेस्क – 24 (बच्चों के बैठने हेतु)
7 बेंच – 24 (बच्चों के बैठने हेतु)
8. घण्टा – मुगरी
9. बाल्टी
10. लोटा
11. गिलास
12. दक्सा – 1
13. अलमारी – 2 (एक बडी, एक छोटी)
14. खेल सामग्री – वालीबाल, फुटबाल, रिंग, कूदने की रस्सी
15. अभिलेख

शिक्षको की संख्या 29 शिक्षा मित्र 29

काष्ठोपकरण / उपस्कर 15000 प्रति विद्यालय

प्रस्तावित कार्यक्रम का वर्षवार नियोजन

जनपद के कुल 29 असेवित बस्तियों मे जिनकी आबादी 300 से अधिक है, मे प्राथमि विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2001 – 2002 में 19 प्राथमिक विद्यालय खोले जायें तथा 2002 – 2003 में 10 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है स्थल चयन से लेकर निर्माण कार्य के लिए ग्राम शिक्षा समितियों का वांछित सहयोग लिया जायेगा इन नवीन विद्यालयों के लिये वर्ष 2001 – 2002 में 19 अध्यापक एवं 19 शिक्षा मित्र तथा वर्ष 200 – 2003 में तक अध्यापक 10 एवं शिक्षा मित्र 10 का प्राविधान किया जायेगा। कुल 29 अध्यापक व 29 शिक्षा मित्र रखे जाने का प्राविधान किया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2001 – 200 में 100, वर्ष 2002 – 2003 में 120, वर्ष 2003 – 2004 में 118, वर्ष 2004 – 2005 में 100 एवं 2005 – 2006 में 100 अर्थात वर्ष 2001 से 2006 तक कुल 538 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खो जायेगे जिनमें क्रमशः 150 + 600, 150 + 600, 150 + 600, 100 + 400, 114 + 456 प्रधा अध्यापक व सहायक अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी। इनमे कुल 666 प्र0 अ0 व 2664 स0 अ होगे।

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	योग
2001–2002	19	19
2002 – 2003	10	10
2003 – 2004	–	–
2004 – 2005	–	–
2005 – 2006	–	–
2006 – 2007	–	–
2007 – 2008	–	–
2008 – 2009	–	–
2009 – 2010	–	–
महा योग		29

वर्ष	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2001–2002	100	100
2002 – 2003	120	120
2003 – 2004	118	118
2004 – 2005	100	100
2005 – 2006	100	100
2006 – 2007	128	128
2007 – 2008	–	–
2008 – 2009	–	–
2009 – 2010	–	
महा योग		666

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्या की उपलब्धता बनायी गयी है पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भव हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्या खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त : तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्याल का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमि विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वा निर्धारित वस्ती की आवादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। वस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिव कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण का के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (2) – ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0

पृष्ठ भूमि

सामाजिक रूप से जनपद सीतापुर की आबादी का अधिकांश भाग अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति से आच्छादित है। एक ओर जहाँ पिसावां, महोली, मछरेहटा, सिधौली, मिश्रिख, गोदलामऊ आदि विकास क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की अधिकता है वही दूसरी ओर महमूदाबाद, रामपुरमथुरा, लहरपुर, परसेण्डी, सकरन, हरगाँव में पिछड़ी जाति की जनसंख्या अधिक है। महमूदाबाद, लहरपुर एवं खैराबाद में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या अधिक है।

यद्यपि आजादी के बाद अशिक्षा के उन्मूलन एवं शिक्षा के प्रसार के लिए भरसक प्रयास किया गया पर उपरोक्त सामाजिक वर्ग शिक्षा से सीधे–सीधे लाभान्वित नहीं हो पाया इसके कारण कई रहे घाघरा एवं गोमती के किनारे पर बसे विकास क्षेत्र पिसावां, मिश्रिख, रामपुरमथुरा, रेउसा आदि विकास क्षेत्रों में आर्थिक विपन्नता अभी तक सुरसा की भांति मुंह बाये खडी है इसमें पिसावां मिश्रिख जहाँ प्रति वर्ष सूखे की चपेट में रहते हैं वहीं रामपुरमथुरा, रेउसा, बेहटा, लहरपुर, सकरन आदि प्रति वर्ष बाढ़ की शिकार चढ़ जाते हैं इस लिए यहाँ पर जीवन यापन बहुत कठिन हो गया है एवं आजादी से आज तक की हमारी प्रगति मात्र शैक्षिक रूप से प्लेटफार्म बनाने तक ही हो सकी है।

विकास क्षेत्र लहरपुर, खैराबाद एवं महमूदाबाद औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र हैं। यहां पर कामकाजी बच्चे अधिक हैं जिसके कारण अधिकांश बच्चे शिक्षा से सीधे–सीधे जुड़ नहीं पा रहे हैं।

राजनैतिक रूप से जनपद सीतापुर 6 तहसीलों एवं 19 विकास क्षेत्रों में विकसित है जिसमें 4 नगर क्षेत्र हैं अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण जनपद सीतापुर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की सम्भावनाएं शेष हैं।

शाला त्यागी बच्चों के बारे में प्रथम दृष्टमा अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश ब इनमें से काम काजी हैं पैतृक व्यवसाय में अपने अभिभावकों का हाथ बंटाते हैं। खैरबाद के पास पंगम उद्योग में इसी तरह से महमूदाबाद व लहरपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश बच्चे अ अभिभावकों के काम में सहयोग करते हैं फलतः विद्यालय से ड्राप आउट हो जाते हैं।

विकास क्षेत्र पिसावां, मिश्रिख, बेहटा, रामपुरमथुरा, पहला रेउसा व लहरपुर के बच्चे जबतक उ रहते हैं और काम में सहयोग देने में समर्थ नही रहते तबतक नाम लिखा देते हैं और जब वे कार्य में स्व हो जाते हैं तब वे विद्यालय से अपना नाता तोड लेते हैं इस तरह से जनपद में ड्राप आउट की संख्या वृद्धि हो जाती है।

इसी तरह से बालिकाओं में भी ड्राप आउट की दर बालकों की अपेक्षा अधिक है। छोटी–छोटी उ में विवाह हो जाता या उन्हे उम्र की वृद्धि के साथ घर से बाहर न निकलने देना या उन्हे घरेलू कार्य लगा देना आदि ऐसे कारण हैं जिससे ड्राप आउट में वृद्धि हो रही है।

कारण चाहे कोई भी हो पर जिले का 39% भाग ड्राप आउट हो जाता है और 17% भाग शि से वंचित रह जाता है जो किसी भी स्वतन्त्र एवं प्रजातन्त्र देश के लिए हितकर नहीं है। एसे में इन शा त्यागी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों को क्रमशः विद्यालय आने को प्रेरित करने तथा विद्यालय न छोड़ के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है।

सर्वेक्षण / चिन्हाकंन

विगत वर्ष जनपद सीतापुर में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था जिसको आधार मानकर शिक्ष गारन्टी योजना व वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना का नियोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में प्रयास किया गया है कि जनपद के वे क्षेत्र उजागर हो सके जो अभी तक शिक्षा से प्रमुख रूप से अपवंचित हैं या विद्यालय की सुविधा उनके द्वारे तक अभी भी नहीं पहुँचती है। वर्ष 2001–2002 में माइक्रो प्लानिंग सभी बस्तियों व नगरीय क्षेत्रों में करायी जायेगी ताकि स्कूल से बाहर बच्चों के आयु वर्ग व कारणों को सही रूप से ज्ञात किया जा सकें । यह सर्वेक्षण इस लिये भी किया जाना आवश्यक है ताकि 2002 – 2003 के बाद जैसे –2 परियोजना आगे बढ़ती है ई0जी0एस0 / ऐ0आई0ई0 / ऐ0एस0आर0 कार्यक्रमों के अभीष्ट वर्ग चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सके ।

रणनीति

सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक एवं नवाचार के माध्यम से स्कूल न जाने वाले 6 – 8 तथा 9 – 14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना उन्हें 2003 से 2007 तक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र हेतु व्यवस्थायें निम्नवत है –

चरण	शिक्षा गारन्टी केन्द्र E.G.S.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र A.I.E.
प्रथम	170	85
द्वितीय	161	143
तृतीय	100	100
योग	431	328

स्रोत माइक्रो प्लानिंग

इस सर्वेक्षण आधार पर जनपद में कुल 6–14 वयवर्ग की जनसंख्या का 91.87% नामांकित हैं जिसमें बालकों के नामांकन का प्रतिशत 91.29 है और बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत 92.61 है। इस नामांकन के सापेक्ष में 34.4% ड्राप आउट है इस प्रकार विद्यालयों में छात्रों का ठहराव 65.6% ही है। ड्राप आउट का प्रतिशत अनुसूचित जातियों में तथा उन नगरों तथा उनके समीप के गाँवों में बढ़ जाता है जहाँ कोई न कोई उद्योग धन्धे हैं। जैसे खैराबाद, सीतापुर व लहरपुर विकास क्षेत्र हैं।

शिक्षा गारन्टी योजना

यद्यपि विश्व बैंक द्वारा संचालित सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सीतापुर ने विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और शैक्षिक पहुँच बढी है फिर भी सर्वेक्षण से ऐसे ग्राम / बस्ती / मजरे / टोले व मोहल्ले तलाशे गये है जो विद्यालय से 1 किमी की परिधि से बाहर है जहाँ 6-8 वयवर्ग के तीस वहीं भी विद्यालय न जाने वाले बच्चे उपलब्ध हैं। ऐसे ग्रामों / बस्तियों मे E.G.S. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों पर कक्षा 1 से 2 तक की पढाई होगी। तदोपरान्त उन्हे शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का कार्य किया जायेगा। इन केन्द्रों का संचालन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हित 'स्टेट सोसाइटी' उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज लखनऊ द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों पर 1 अनुदेशक प्रति केन्द्र प्रस्तावित है उसे शिक्षा आचार्य के नाम से जाना जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (A.I.E.) कार्यक्रम

जिन बस्तियों में कामकाज में सहयोग देने के कारण, अधिक उम्र हो जाने के कारण, बाल श्रमिक या अन्य सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दबाओं के कारण कम से कम 15 बच्चे ऐसे होगे जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो गये होंगे तो वहां पर A.I.E. केन्द्रों की स्थापना की जावेगी यह केन्द्र प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर चलाए जायेंगे। प्राथमिक स्तर पर 01 अनुदेशक व उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अनुदेशकों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की चरण बद्ध रूप से खोले जाने का प्रस्ताव है।

चरण	उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र
प्रथम	89
द्वितीय	125
तृतीय	170
योग	384

स्रोत : माइक्रो प्लानिंग

नियोजन में प्राथमिकता

सर्वेक्षण के सामान्यीकरण से अवगत होता है कि आज भी कुछ वर्ग शिक्षा से जुड़ने में झिझक महसूस कर रहे हैं उन क्षेत्रों की पहचान की जावेगी तथा उन्हे नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी। सामान्यतः जनपद सीतापुर में शिक्षा की अपवंचिता वाले निम्न क्षेत्र हैं –

1. अनुसूचित जाति क्षेत्र
2. ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिकाओं का नामांकन अल्प है
3. जहाँ बच्चों में ड्राप आउट की प्रवृति अधिक पाई जा रही है

4. ऐसे क्षेत्र जहाँ सड़क छाप बच्चे, बाल श्रमिक, घुमन्तू व खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की अधिकता है।

उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर उन बस्तियों, टोलों, मोहल्लों को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ या तो बच्चे विद्यालय में नामांकन ही नहीं करा रहे हैं या नामांकन कराने के बाद शाला त्यागी की पंक्ति मे आ खड़े होते हैं। इनके लिए शिक्षा गारन्टी केन्द्र एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्र निम्न चरण बद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित हैं।

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्रों का समय संचालन

दोनो योजनाओं में यद्यपि समय का निर्धारण उनकी अपनी समस्याओं को ध्यान में रख कर किया जायेगा। फिर भी प्रयास यही रहेगा कि यह देर शाम या रात में न रखा जाय यह केन्द्र प्रति दिन चार घण्टे संचालित होंगे इनका स्थल ग्राम, बस्ती का कोई सार्वजनिक स्थल रखा जायेगा। अच्छा तो यही है कि यह स्थल ऐसे हों जहाँ सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों के बच्चे जा सकें एवं शिक्षा ग्रहण कर सकें।

अनुदेशक चयन

अनुदेशक यथा सम्भव उसी समुदाय व स्थान का रखा जायेगा जहाँ पर जिस समुदाय व स्थान के बच्चे होंगे। यदि निर्धारित योग्यता का व्यक्ति किसी ग्राम, बस्ती विशेष में नहीं मिल पाता है तो निकट के गॉव से भी अनुदेशक का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल अवश्य होगी। उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होगी। अनुदेशक का चयन हाई स्कूल के अंको के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा अनुमोदनोपरान्त ग्राम शिक्षा समिति ही उसे आमंत्रण पत्र देगी एवं यदि उसका कार्य सन्तोषजनक नहीं होता है तो उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके हटाया जा सकेगा इस सम्बन्ध में ग्राम शिक्षा समिति का निर्णय अन्तिम होगा। पर अर्ह प्रत्याशी के साथ न्याय हो सके इसके लिए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का निमंत्रण आवश्यक होगा।

अनुदेशक के चयन में महिलाओं को वरीयता दी जायेगी अनुदेशक के कार्य का पर्यवेक्षक ग्राम शि समिति व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/समन्वयक/संकुल प्रभारी के द्वारा कराया जायेगा।

यदि किसी बस्ती में अल्प संख्यक बच्चों की अधिकता है तो वहां पर उसी सम्प्रदाय के अर्ह प्रत्य को अनुदेशक चयन कर लिया जायेगा और प्रयास किया जायेगा कि उसकी मात्र भाषा में उसे पुस्त उपलब्ध करायी जा सकें।

अनुदेशकों के चयन में पारदर्शिता बनाये रखना अनिवार्य होगा इसके लिए शिक्षा समितियों व्यापक प्रचार व प्रसार करना होगा जिससे अधिक से अधिक अर्ह प्रत्याशी आवेदन पत्र जमा कर स ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित तिथि को प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण करेगी तथा उपयुक्त प्रत्याशियों सूची बनायेगी। साक्षात्कार के लिए एक तिथि निर्धारित की जायेगी जिसमें प्रत्याशियों के अभिलेखों, प्र पत्रों आदि की जांच की जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक व न्यू आयु 21 वर्ष की होगी जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों इण्टर नीडिएट प्रत्याशियों पर भी वि किया जा सकता है। इस केन्द्र पर भी महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर Annexure के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा बी. आर. सी. आयोजित किया जायेगा। इसमें डायट के प्रवक्ताओं, सं. बे. शि. अधिकारी S.D.I. समन्सयक एवं स व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू01500/– प्रति अनुदे की दर से धनराशि सम्बन्धित संस्थान् को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालित होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अनुदेशक के मानदेय की धनराशि 1000/– प्रति अनुदेशक प्रति अनुदेशक प्रति माह की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। नगर क्षेत्रों में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आफिसर एवं जि.बे.शि.अधि. द्वारा संयुक्त रूप से उसके कार्य को देखकर किया जायेगा इसका भुगतान भी अनुदेशक को चेक द्वारा किया जायेगा।

पर्यवेक्षण

शिक्षा गारण्टी एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य स.बे.शि.अ./S.D.I./ब्लाक प्रोग्राम आफिसर/समन्वयक बी आर बी/ समन्वयक NPRC के द्वारा कराया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/स.शि.अधीक्षक/नगर रिसोर्स पर्सन/नगर प्रोग्राम आफिसर एवं जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इन अधिकारियों द्वारा अनुदेशको की मासिक बैठकें भी ली जायेंगी जिसमें इनके कार्यो का मूल्यांकन व अनुश्रवण होगा। अच्छा तो यह भी रहे कि इनका पर्यवेक्षण निकटस्थ उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्र. अ. द्वारा भी कराया जाय तथा विकास खण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति इनको कार्य के प्रति निष्ठावान बनाये रखने के लिए प्रेरित करते रहें। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों के द्वारा रोस्टर प्रणाली से किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके। जनपद/ब्लाक/ग्राम स्तर पर पर्यवेक्षण व्यवस्था निम्नवत होगी –

पर्यवेक्षण की व्यवस्था

पर्यवेक्षण हेतु मानक तथा पर्यवेक्षण प्रणाली

1.	सदस्य ग्राम शिक्षा समिति	प्रतिदिन
2.	समन्वयक N.P.R.C.	प्रत्येक केन्द्र (प्रति सप्ताह)
3.	समन्वक B.R.C.	15 केन्द्र प्रति माह
4.	प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	10 केन्द्र प्रति माह
5.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	5 केन्द्र प्रति माह
6.	विकास क्षेत्र स्तर के अधिकारी	5 केन्द्र प्रति माह
7.	बेसिक शिक्षा अधिकारी	10 केन्द्र प्रति माह
8.	जिला प्रशासन	5 केन्द्र प्रति माह
9.	मण्डलीय सहायक शिक्षा निरीक्षक	2 केन्द्र प्रति माह

शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साफ सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जि.बे.शि.अ. कार्यालय से ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धा सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को क्रय करायी जायेगी। शि केन्द्रो पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी प्रदान कराई जायेंगी। इस धनराशि सनायोजन (शिक्षण सामग्री मद सं0 8.45/– प्राथमिक 120रू0 उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा। शिक्ष सामग्री मद का 5 प्रति. राज्य जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा। इन दोनो तरह के शिक्षा केन्द्र में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तके ही उपयोग में लाई जायेंगी।

छात्र छात्राओं का मूल्यांकन

वैकल्पिक एवं शिक्षा गारन्टी योजना में पढ़ने वले बच्चों का सतत् मूल्यांकन किया जायेगा। इस लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार कराई जायेगी। बच्चों का तिमाही छमाही मूल्यांकन मौखिक तथ लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा. सभी अधिकारियों तथा अनुदेशकों का समन्वित प्रयास रहे कि केन्द्र पर पढ़ने वाला बच्चा औपचारिक विद्यालय की मुख्यधारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश ले सके केन्द्रों पर अध्ययनरत बच्चों जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगे उनकी वार्षिक परीक्षा बे.शि. परिषद द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्र.अ. द्वारा कराई जायेगी। प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य, ब्लाक प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को संचालित केन्द्रो की सूचना अनुदेशक के नाम, स्थल व समय के उल्लेख के साथ उपलब्ध कराई जायेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और उनका सहयोग भी लिया जा सके ।

प्रबन्धन लागत

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रति. राज्य एवं जिला विकास स्तर पर प्रशासनिक/प्रबन्धन पर देने वाला व्यय भी सम्मिलित हैं। विकास खन्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी।

80 से 100 केन्द्रों के मध्य	2.5 लाख रू0 प्रति वर्ष
50 से 80 केन्द्रों के मध्य	2.0 लाख रू0 प्रति वर्ष
25 से 50 केन्द्रों के मध्य	1.5 लाख रू0 प्रति वर्ष
0 से 25 केन्द्रों के मध्य	1.0 लाख रू0 प्रति वर्ष
	या 100 रू0 प्रति छात्र/छात्रा प्रति व

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स

सड़क छाप बच्चे, प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों दुकानों और नौकरी पेशा, कुलीगीरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में हैं अथवा बाल श्रमिकों या खतरे के उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग 9.14 है को शिक्षा प्रदान करने हेतु ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन कोर्स/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे। जनपद सीतापुर में विकास क्षेत्र खैराबाद, महमूदाबाद एवं लहरपुर में इस तरह के केन्द्र प्रस्तावित हैं। इन ब्रिज कोर्स, ग्रीष्म कालीन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास होगा। प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर में 9.14 वय वर्ष तक के 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे यह शिविर आवासीय होंगे तथा इनमें बच्चों के रहने, खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविर 1. केयर टेकर 2. वैरायटी घर 3. कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्प कालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्रायमरी एवं अपर प्रायमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय एवं खाने पीने की और साज सज्जा की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन का प्रबन्ध किया जायेगा। ब्रिज कोर्स को शिविर लगाने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ निःशुल्क आवास व्यवस्था जन सहयोग से उपलब्ध हो सके। ध्यान यह भी रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड में एक ही स्थान पर वे इसकी अवधि चार माह से आठ माह तक रखी जायेगी तथा इस हेतु 3000रू0 प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होंगे और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी। जनपद सीतापुर में प्रथम वर्ष में जनपद स्तर पर एक तथा एक ब्रिज कोर्स विकास क्षेत्र हरगांव मे एन0 जी0 ओ0 के द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी।

जिला प्रशासनिक सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसके निम्न सदस्य होंगे –

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मु. वि. अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3.	विशेषज्ञ/जिला बे. शि. अधिकारी	–	सदस्य सचिव
4.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	–	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान	–	सदस्य
6.	जिलास्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	–	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज्य अधिकारी	–	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखा अधिकारी	–	सदस्य
9.	स्वैछिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	–	सदस्य

(स्वैछिक संगठनों के प्रतिनिधियों का चयन जिलाधिकारी के द्वारा किया जायेगा)

जनपद सीतापुर में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने का कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :–

प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी/वैकल्पिक शिक्षा योजना (EGS/AIE) के सन्दर्भ में शिक्षा समिति के निम्न लिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित हैं –

1. 6.14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना
2. कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना
3. अनुदेशकों का चयन करना
4. केन्द्रों का समय व स्थान निर्धारित करना
5. केन्द्रो की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना

6. अनुदेशकों के शिक्षणोंपरान्त केन्द्र का दायित्व सौंपना
7. अनुदेशकों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन तथा निरीक्षण करना
8. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में पवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना
9. नियमित रुप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास खण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना
2. ग्रामीण क्षेत्रों का सूक्ष्म नियोजन कराना तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करना
3. केन्द्रों/शिविरो का भ्रमण एवं परिवेक्षण करना तथा अनुसरण की व्यवस्था करना
4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित करना

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :-

केन्द्र/शिविरों के सफल संचालन हेतु उपरोक्त समिति को निम्नांकित दायित्व प्रदान किये गये हैं!

1. शिक्षा गारन्टी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के लिए सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कराना तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर पर तैयार कराना तथा जिलास्तर पर समीक्षा करना
2. केन्द्र ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना
3. कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
4. अन्य विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कन्वर्जेन्स कार्यक्रमों का संचालन करना
5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करना
6. स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति को अग्रिम रुप से उपलब्ध कराना

E.G.S./A.I.E. योजना हेतु सर्वेक्षण पत्र – 1

स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति (31.12.2000 की स्थिति)

1. 6 – 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या .....

बालक 418410 बालिका 316548 योग 734958

2. 6 – 14 वय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 190623

वर्ग	अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	142591	–	108819	63793	60038	375241
बालिका	104504	–	79753	46752	44001	275010
योग	247095	–	188572	110545	104039	650251

3. 6– 8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चो की संख्या (ई0 जी0 एव0 केन्द्रो के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	8706	–	7126	4096	3933	23861
बालिका	8324	–	6971	3257	2809	21361
योग	17030	–	14097	7353	6742	45222

4. 9 – 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चो की संख्या (ई0 जी0 एव0 केन्द्रो के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	8706	–	7126	4096	3933	23861
बालिका	8324	–	6971	3257	2809	21361
योग	17030	–	14097	7353	6742	45222

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	280	–	207	221	84	792
बालिका	104	–	126	113	61	404
योग	384	–	333	334	145	1196

कामकाजी बच्चे

वर्ग	अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	6382	–	5629	3563	2498	18072
बालिका	5407	–	4863	2843	1779	14892
योग	11789	–	10492	6406	4277	32964

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	532	–	497	458	141	1628
बालिका	372	–	469	421	86	1348
योग	904	–	966	879	227	2976

विकलांग बच्चे (PHYSICALLY HANDICAPPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	488	–	395	182	254	1319
बालिका	309	–	278	131	210	928
योग	797	–	673	313	464	2247

E.G.S. A.I.E. योजना हेतु सर्वेक्षण पत्र – 1

विकास क्षेत्रो का नाम	क्रम संख्या	E.G.S. केन्द्रो के नाम	क्रम संख्या	A.I.E. केन्द्रो के नाम
लहरपुर	1	मुन्नापुरवा	1	सेखूपुर
	2	सुलेमानपुर	2	शादीपुर
	3	महलपुरवा	3	खिद्विर पुर
	4	शेरपुर	4	गौरिया
	5	गूरेपारा	5	महुवाताल
	6	बहवूदपुर		
	7	तम्बालिनपुरवा		
	8	गगुवाबेहड		
	9	खामीजी का पुरवा		
	10	रौसीपुर		
	11	मरघटा		
	12	मन्योरा		
	13	लालपुरफार्म		
	14	गेसही		
	15	राजापुर		
	16	बसौहिया		
	17	रमुवापुर		
	18	अम्बहापुरवा		
	19	फोदहरा		
	20	मानपुर		
रेउसा	1	बेहड़	1	मूरत पुर
	2	डेलिया	2	फरौरी
	3	मरखापुर	3	लौरीनेवादा
	4	पिपरा	4	डक्कहा
	5	समसिनपुरवा	5	देवरिया
	6	मीरी		
	7	खिकड़िया		
	8	मोहनपुरवा		
	9	जटपुरवा		
	10	भारूबेहड़		

	11	कुशमौरा		
	12	सुकेठा (जालिमनगर)		
	13	ठकुरवपुरवा		
	14	भैरवी		
	15	जवरपुरवा		
	16	निर्मलपुरवा		
	17	वगेरहा		
	18	खरेहाटी		
	19	मुगई		
	20	नन्दपुर		
	21	औख		
	22	पूरतनगज		
नगर क्षेत्र सीतापुर	1	आलमनगर		
	2	बटसंगज (तिलकनगर)		
	3	निषादनगर गोडियन टोला		
	4	रेलवे कालोनी आन्नद नगर		
	5	फरेड, पन्तनगर काट		
	6	चौबे टोला		
मिश्रित	1	मिर्जापुर	1	लक्ष्मिनपुर
	2	सुल्तान नगर	2	कुहेटा
	3	ललईपुरवा	3	मिर्जापुर
	4	अमजदपुर	4	बेरसापु
	5	महसुनिया	5	रमुवापुर
	6	खजुआ		
	7	गउवापुर		
	8	लकुची		
	9	कुवरापुर		
	10	कुसहा		
	11	बेलहरी		
	12	कुहेटा		
	13	लक्ष्मिनपुर		

	14	उमेदपुर		
	15	गौरिया		
	16	फ्नरना		
	17	रगुआपुर		
	18	बरेसापुर		
	19	सत्यं बीबी		
	20	हुसेनपुर(कुतुबनगर)		
पिसावां	1	आम्बी	1	रंगवइया
	2	जसवन्तपुर	2	गालिवापुर
	3	मुस्तफरबाद	3	जलालनगर
	4	रामपुर	4	तालगाव
	5	देवरुजी	5	सरियापुर
	6	मुशव्वरपुर	6	कटपुरवाडीह
	7	क्लिरिया	7	भुड्वा
	8	तलगांव	8	नकरौरा
	9	भकरौडा	9	मुल्लाकीए
	10	देवरिया	10	पिसांवा
	11	दुफरापुर	11	नैरी
	12	सहातीनगर	12	कुतुवापुर
	13	लालपुर	13	बसन्तपुर
	14	पुवावा	14	जगदेवा
	15	नुरूद्दीनपुर	15	मोहसिया
	16	सीतारामपुर	16	एंसडा
	17	सरियापुर		
	18	खजुरन्ना		
	19	करौदिया		
	20	जनदेवा		
	21	दुल्हापुर		
	22	विचपरिया		
ऐलिया	1	साहबगंज	1	विलरिया मुजफ्फरपुर
	2	भगवानपुर	2	भेरूकहा
	3	मल्लपुर	3	रामपुर
	4	दोस्तपुर	4	गद्दीपुर
	5	धर्कसारा	5	कुबेरपुर
	6	रोहेला	6	सवांडापुर

	7	सिंघरिया		
	8	वजहतपुर		
	9	अन्दौली		
	10	देवरिया		
	11	बख्तावरपुर		
	12	निजामपुर (देवई)		
	13	फुस्वाकलिका बख्श		
	14	अब्दीपुर		
	15	खेतुवापुर		
	16	सहरोई चक्कावत		
	17	रोछिनपुर		
	18	भेरूकहा		
	19	फदिलापुर		
	20	नकरहिया		
	21	विलरिया मुजफ्फरपुर		
	22	लछिमनपुर		
महोली	1	अगरौरा		
	2	बेगमापुर		
	3	प्रतापपुर		
	4	कसरहा		
	5	कोल्हौरी		
	6	मल्हपुर बेहटा		
	7	कलवारी		
	8	टीकरिअचमल		
	9	वरसहिया		
	10	कचनपुर भकुरा		
	11	नेवादा चौबे		
	12	गणेशपुर		
	13	अलीपुर		
	14	पचपोखरा		
	15	पचासा		
मछरेटा	1	रसुलवा	1	कौआकोल कोड़टी
	2	कोलईकोल	2	गुरैना माड़र
	3	रघुनाथपुर	3	काशीपुर–राजेवात
	4	घाघपुर		

	5	जरमापुर		
	6	पुरैना		
	7	कुसौली		
	8	सिरलिया		
	9	नत्थापुर		
	10	पाल्हीपुरवा		
	11	बहोरनपुर		
	12	गद्दीपुरवा		
	13	जमलापुर		
	14	हरदोइया		
	15	हाल्लूपुर		
	16	काशीपुर		
	17	दहराऊ		
	18	जटपुरवा		
	19	केशर		
गोदलांमऊ	1	शाहपुर	1	चाँदपुर (कुमायूँग्राम)
	2	बखुरी	2	रसूलपुर
	3	भगवानपुर	3	नयागाँव
	4	गौरा	4	छरिहापुरवा
	5	रामपुर	5	गुजरेहटा
	6	पटोइया		
	7	हरिहरपुर		
	8	गोपालपुर(रामपुर)		
	9	घूला		
	10	बरगदिया(नरायनपुर)		
	11	लफ्कहिया		
	12	प्रतापपुर		
	13	खाल्लेकोढ़वा		
	14	गंगापुर		
	15	खरगापुर		
	16	बरगदिया(सरवा)		
	17	अलीनगर		
	18	गोपौती		
	19	पोखरा		
	20	भारतपुर		

कसमण्डा	1	कोठार	1	मेड़ईपुरवा
	2	पिपरा	2	नरायनपुर
	3	नरायनपुर	3	सहनैइया
	4	रसूलपुर	4	गौरा
	5	सुन्दरपुरवा	5	पट्टी
	6	नेवादा		
	7	सरौरा खुर्द		
	8	सादापुरवा		
	9	मेहरबानपुर		
	10	भरथापुर		
	11	भगवानपुर		
	12	जलालपुर		
	13	कमोलिया		
	14	हरदी		
	15	लोधौरी		
	16	खेरवा		
	17	गनेशपुर		
	18	खुर्दा		
	19	बरगदिया		
	20	शाह आलमपुर		
खैराबाद	1	मन्सूरपुर	1	सरैया
	2	मिर्जापुर	2	जिलामऊ
	3	कैमहरा	3	बहूनगर
	4	महदापुर	4	रमुवापुर
	5	परसोहिया	5	केसरिया
	6	मझाव		
	7	खुरेहटा		
	8	अलादादपुर		
	9	पीरपुर		
	10	छमूह		
	11	मिर्जापुर		
	12	दौलतपुर		
	13	प्रतापपुर		
	14	जमुनापुर		
	15	तेजसिंह पुरवा		

		16	बेनीपुर		
		17	बयिारपुर		
		18	आमखेरा		
		19	भवनपुरवा		
		20	दसईखेड़ा		
		21	बिहारीपुर		
रामपुर मथुरा		1	वगस्ती		
		2	रमनगरा		
		3	धोबिनपुरवा		
		4	पासिनपुरवा		
		5	छटौनी		
		6	कीरतपुर		
		7	पैगम्बरपुर		
		8	धूमपुरवा		
		9	कोडर		
		10	खैरी		
		11	दुर्गापुर		
		12	फतुल्लाहपुर		
		13	कोड़री		
बिसवां		1	लीलापुरवा	1	वैसनपुरवा
		2	नसीरपुर	2	जगन्नाथपुर
		3	ईश्वरीपुरवा	3	हसनापुर
		4	वहिदापुर	4	भरखापुर
		5	अलौदीपुर	5	ईदगाहपुरवा
		6	टेड़वा	6	आमगौरिया
		7	गौदलामऊ	7	कुम्डौरा
		8	अशरफपुर	8	भगवानपुर
		9	मधवापुर		
		10	चन्दनपुर		
		11	सारसा खुर्द		
		12	बेनीपुर		
		13	महिमापुर		
		14	कटुवापुर		
		15	वेलभारिया		
		16	दरियाना		

	17	मवासेपुर
	18	नरेन्द्रपुर
	19	देवरिया
	20	नेवरीबाक
	21	सज्जनापुर
	22	सकतापुर
	23	गैदपुरवा
	24	बड़कापुरवा
	25	मनिकापुर
	26	नदिया
	27	सिंहपुर
	28	जमरखा
	29	नयापुरवा
	30	मल्लिकपुरवा
सकरन	1	टेड़वा कलां
	2	बिलरिया
	3	शिवपुरी
	4	पचदेवरा
	5	सलौली
	6	मनकौरा
	7	पड़रिया
	8	बेलवा
	9	रतनापुर
	10	भकली
	11	मुन्नूपुरवा
	12	गुलावपुरवा
	13	मिदनिया
	14	रेवनिया
	15	प्यारापुर
	16	भवानीपुर
	17	चकदेवरिया
	18	घूरीपुर
	19	महतीनपुरवा
	20	गुलरबोझा
	21	अगेठा

बेहटा	1	रमपुरवा	1	रमपुरवा
	2	क्योटाना	2	क्योटाना
	3	रामकिभुन पुरवा	3	रामकिभुन पुरवा
	4	बरेला	4	बरेला
	5	कतरा रामपुर	5	कतरा रामपुर
	6	नयापर्वतपुर	6	कम्हारेया
	7	ढखेनपुरवा	7	ढखेनपुरवा
	8	ककरहा	8	ककरहा
	9	दतूनी	9	दतूनी
	10	हैठा	10	हैठा
			11	खनियापुर
			12	उमरा
			13	गुरेला
			14	मीतमऊ
			15	पकरिया पुरवा
			16	रामुवापुर
			17	अचर्जनपुरवा
			18	मझरीपासिन
			19	करमूडीह
			20	उसिया
			21	भवानीपुर
			22	कम्हरिया
			23	मड़ोरवा
			24	बेलसुवा
परसेप्डी	1	कंजा		
	2	कटरा		
	3	चौम्बा		
	4	भुडकुडी		
	5	नेवादा		
	6	चकडीला		
	7	क्लिमा		
	8	हुसेनपुर		
	9	देवरिया		
	10	दलखल		
	11	पचदेवरा		

	12	रसूलापुर		
	13	जमलापुर		
	14	मोहकमगंज		
	15	हरयिपुर		
हरगाव	1	नौनेरी	1	जहगीराबाद
	2	ताहपुर	2	सस्या राह
	3	पीतपुर	3	मुन्द्रासन
	4	जड़ौना	4	को0 उदनापुर
	5	यादवपुर ।।	5	नस्हापुर
	6	अलबदाबाद	6	खापुर मूसेपुर
	7	ओझियापुर	7	सरायफित्थू
	8	काजीपुर		
	9	को0 जंगल		
	10	पायक नगर		
	11	फाजिलपुर		
	12	जैतपुर		
	13	लेका 2 मुलमुल		
	14	पुन्नापुर		
	15	मीरपुर		
	16	हरवसपुर		
	17	बेनीपुर		
	18	सैयदपुर		
	19	मीरपुर		
पहला			1	मरहमतपुर
			2	बेहमा
			3	दुदसेना
			4	विलौली नानकारी
			5	बजेहरा

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ़ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तनान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 39383 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों वं विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभव स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अनिन्द्र कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञा- संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्रायः देख जाता है कि प्रलोभनों या अन्य कारणों से बच्चे विद्यालय में नाम तो लिख लेते है पर विद्यालय में उपस्थित कम ही रहतें है। इस तरह से ठहराव में ह्रास होता रहता है। इसको रोकने के लिए ठहराव में वृद्धि करनें के लिए टहराव में वृद्धि करने के लिए वृद्धि के कार्यक्रम तथा जिले के ड्राप आउट दर शून्य करने हेतु विद्यालयों का पुनर्निर्माण एवं आकर्षक बनाया जाना अनिवार्य है इस समय जनपद सीतापुर में -

1. जनपद में 75 विद्यालय जो जर्जर स्थिति में हैं को पुनः निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है पूर्व से अतिरिक्त कक्षा-कक्ष जनपद में उपलब्ध है यद्यपि छात्र /अध्यापक संख्या के अनुरूप 1063 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण करने का लक्ष्य है। इससे 3 कक्ष से कम वाले सभी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का प्राविधान करने के उपरान्त जनपद में कोई भी प्राथमिक विद्यालय 3 कक्ष से कम का नहीं रह जायेगा । प्राथमिक स्तर पर जनपद में 2025 विद्यालयों में शौचालय 2044 विद्यालयों में हैण्डपम्प 71 विद्यालयों में चाहरदीवारी की सुविधा बेसिक शिक्षा अभियान में पूरा किया जा रहा है।इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक स्तर पर 161 शौचालय 148 हैण्डपम्प 800 चाहरदीवारी निमित करने का लक्ष्य है । नगर क्षेत्र में पनः निर्माण इन्हीं विद्यालयों में प्रस्तावित है जहां पर वि0 परिसर में भूमि उपलब्ध है भवन निर्माण का कार्य नगर शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा तथा साज शिक्षा का घन नगर क्षेत्र शिक्षा समितिके माध्यम से प्रस्ताव है ।

		कक्षा-कक्ष	जर्जर	शौचालय	हैण्डपम्प	चाहरदीवारी
पूर्व	प्राथमिक स्तर	1063	75	161	148	2128
	माध्यमिक स्तर	126	-	24	25	396

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 264 विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 106 विद्यालयों में वृहत्त मरम्मत का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चाहर दीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 97 शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 173 हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

वर्ष 2002–2007 की अवधि में जर्जर 75 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 889 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था

वर्ष	1:40 के आधार पर अतिरिक्त शिक्षक	सृजित पद	अतिरिक्त शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग
2000-2001	7989	8250	-	-	-
2001-2002	8881	631	316	315	631
2002-2003	9818	8881	468	468	937
2003-2004	10742	9818	469	462	924
2004-2005	11719	10742	462	488	977
2005-2006	13389	11759	835	835	1670
2006-2007	13658	13389	134	134	269
2007-2008	13879	13658	110	110	221
2008-2009	14171	13879	146	146	292
योग	104246	90967	2963	2958	5921

वर्ष 2002–2007 की अवधि में छात्र–अध्यापक अनुपात को मानक के अनुरूप लाने हेतु 2494 अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

बालिका शिक्षा

प्रस्ताव नं0 1 किसी भी देश की उन्नति तभी सम्भव है जबकि प्रत्येक नागरिक जागरू राष्ट्र के लिये भूमिका निभाने में समर्थ है ।

फलत बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या आधी से कुछ की अधिक है बालिकाये हमारे बालिका शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है । जिस अनुपात मे बालिकाओं का नामाक ठहराव प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में होना चाहिए । उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे है समा विशेष समूह जैसे अन0 जाति , अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग मे यह स्थिति बहुत खेद जनक

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के लागू होने के पश्चात बालिका शिक्षा के ना एवं ठहराव मे आपेक्षित सुधार आया है । इस सभी प्रयासो के पश्चात अभी भी बालिका शाला दर मे हम शत प्रतिशत शून्यता को नही प्राप्त कर सकते है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व अभियान में बालिका शिक्षा पर विशेष कार्ययोजना बनायी गई है –

साक्षरता प्रतिशत महिला

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	प्रतिशत	कुल
1	खैराबाद	12.6	27.7
2.	ऐलिया	15.0	33.1
3	हरगाव	13.3	29.7
4.	मिश्रिख	15.1	31.8
5.	परसेण्डी	11.1	27.5
6.	पिसावा	15.6	33.4
7.	महोली	23.1	41.8
8.	मछरेटा	16.6	34.4
9.	गोदलामऊ	14.7	31.1
10	सिधौली	15.2	31.6
11.	कसमण्डा	15.1	31.5
12.	महमूदाबाद	11.8	26.0
13.	रामपुर मथुरा	7.7	18.9
14	पहला	12.4	28.9
15.	बिस्वां	12.2	27.7
16.	रेउसा	5.8	15.2
17.	लहरपुर	[illegible]	27.8
18.	सकरन	6.6	18.5
19.	बेहटा	7.5	18.4
20.	न0क्षे0 सीतापुर	46.4	56.3
	योग	16.9	31.4

स्रोत बेस लाइन रिपोर्ट 2000–2001

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

- **समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण**

  माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

  महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव /मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।
  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –

    – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

    – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

    – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

  बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को दिये निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने वैज प्रदान किये जायेगें।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रांन्त में अभिभावक सम्मेलन**

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैटक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

  ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

फोकस ग्रुप डिस्कसन के पश्चात् बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में जो तथ्य उभर के आये वे निम्नवत है–

1. महिला शिक्षक का आभाव । जो महिला अध्यापक है भी वे जहॉ उनकी आवश्यकता है (पिछडे क्षेत्रो मे) वहॉ असुरक्षा के कारण जाने मे असमर्थ्य है।
2. रामपुर मथुरा, बेहटा, रेउसा, सकरन बाढ प्रभावित क्षेत्र है । जहॉ जीवन यापन अत्यन्त कठिन है और शिक्षा व्यवस्था का आभाव ।
3. विद्यालय दूर होने के कारण असुरक्षा की भावना ।
4. छोटे बच्चों की देखभाल एवं घरेलू कार्यो के परिणाम स्वरूप विद्यालय न जा पाना ।
5. व्यवसाय में हाथ बटाना ।
6. शिक्षा की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान न होना ।
7. लिंग भेद
8. क्षेत्र विशेष के लिए शिक्षा ।
9. जाति विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था ।

जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए एवं शत प्रतिशत नामांकन / ठहराव का लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु एक कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर बनाई गई है जिसके अन्तर्गत –

- सामुदायिक गतिशीलता को बढावा देना
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
- महिला शिक्षकों का चयन (आचार्या के रूप में)
- विशेष समूहो हेतु योजना (अनूसूचित , अल्पसंख्यक)
- अध्यापक प्रशिक्षण
- नि: शुल्क पुस्तक वितरण
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
- कार्यानुभव आधारित केन्द्रो का चयन

— एन0 जी0 ओ0 से सहायता

– विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा

– अनुसंधान

सामुदायिक सहभागिता को बढावा देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति में से कम से कम तीन महिला सदस्यों के होने का प्राविधान है इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित किसी छात्र की मां का होना आवश्यक है।

प्रशिक्षण के लिए संसाधन समूहो का गठन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठनो, आधारभूत कार्यकर्ताओं संकुल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों का समावेश किया जायेगा ।

विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में सुधार का एक आदर्श विकास अभिगम इस अभिगम द्वारा बालिकाओं की भागीदारी बढाने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण में औपचारिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन या वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा के द्वारा बालिकाओं मे प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को बढाना है । द्वितीय चरण में बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव को केन्द्रित करता है । संकुलो के चुनाव का मापदंड निम्न होगा –

1. जहां महिलाओं की शिक्षा दर कम है ।
2. जहां बालिकाओं का कम नामांकन एवं ठहराव ।
3. जहां अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़े वर्ग व अल्प संख्यकों के जन समुदाय की अधिकता।
4. ऐसे 10 –12 गॉवो का संकुल बनाया जायेगा और उसके बालिकाओं को शिक्षित करने का अभियान चलाया जायेगा ।

अयोजनात्मक क्रियायें

इस हस्ताक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियायें की जायेगी जैसे कि संकुलों की पहचान –

1. ब्लाक एवम् संकुल समन्वयकों सहित जिला परियोजना टीम को आदर्श संकुल विकास अधिगम द्वारा बाटंना ।

2. उन केन्द्रो दलों को पहचानना जो कि प्रत्यक्ष रूप से संकुल के साथ गतिविधियों में कार्यरत है।

3. गॉव के निरीक्षण द्वारा ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों एवम् मुख्य व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।

4. गॉव के मुख्य व्यक्ति में शिक्षकों एवम् ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण ।

5. गॉव की बैठकों का आयोजन ।

6. बालिकाओ की शिक्षा के लिये पी0 आर0 ए0 तथा घर सर्वेक्षण करने के लिये विशेष प्रशिक्षण।

7. घरों के सर्वेक्षण / पी0 आर0 ए0 द्वारा एकत्रित ऑकडों व ग्राम विकास की विशेष योजनाओं के ऑकडों की तुलना ।

8. इस अभिगम में गॉव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील।

9. कक्षा में होने वाल गतिविधियों में बालिका शिक्षा परिप्रेक्ष्य के अनुश्रवण में समन्वयकों में जेन्डर संवेदनशीलता का विकास ।

10. इस अभिगम के आरम्भ से ही एक समयबद्ध योजना को कार्यान्वित किया जायेगा और इसके आधार पर गतिविधियों का क्रम निश्चित किया जायेगा ।

केन्द्र दल

सकुल स्तर केन्द्र दल की स्थापना की जायेगी । बालिकाओं की शिक्षा के लिये जिला समन्वयक संकुल समन्वयक के अतिरिक्त. महिला एवं युवा सदस्यों को भी लिया जायेगा । केन्द्र दल के दैनिक कार्यो में जिला परियोजना अधिकारी सहायता करेगा ।

केन्द्र दल को स्थापित करने में निम्न बातो का ध्यान दिया जाता है –

– जिन व्यक्तियों का माडल समूह अभिगम से गहरा सम्बन्ध है उनसे कार्य के प्रति निष्ठावान होने का आश्वासन लेना ।

– संकुल के साथ जुडे हुए व्यक्तियों के लिये क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ जान पहचान सुनिश्चित करना ।

प्रारम्भिक गतिविधियों को पूर्ण करने के पश्चात् चुने हुए संकुलों में संगठनात्मक एवं नामांकन अभियान चलाये जाते है ।

नामांकन अभियान के अन्तर्गत निम्न बाधायें अपनायी गयी –

– पद यात्रा, प्रभात फेरी

– नुक्कड नाटक

– बैठकें

– घर – घर जाकर प्रोत्साहित करना

– मीना अभियान

– माँ – बेटी मेला

– महिला संसद

इन प्रयासो का मुख्य उद्देश्य

– गॉव में बालिकाओं की शिक्षा वर्तमान स्थिति तथा बालिकाओं के नामांकन को सुधारने के लिये समुदाय पर प्रभाव ।

– घरों के सर्वेक्षण से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर यह निर्धारित करना कि बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है ।

– विद्यालय के वातावरण व विद्यालय प्रबन्धन को सुधारना ।

– विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी तथा विद्यालय एवं समुदाय के पारस्परिक मेल जोल का संस्थाकरण ।

– ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय उपस्थिति ।

– सक्रिय महिला समूहों अथवा प्रेरित व्यक्तियों की उपस्थिति ।

आयोजनात्मक क्रियाएं

इस हस्ताक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियायें की जायेगी जैसे संकुलो की पहचान –

ब्लाक एवं संकुल समन्वयकों सहित जिला टीम को आदर्श संकुल विकास अभिगम द्वारा काटना

नामांकन के पश्चात ठहराव हेतु कदम उठाये जायेंगे

अभिभावकों को बढ़ावा दिया जायेगा ।
समय को लचीला बनाया जायेगा जिससे अधिक संख्या में वालिकाओं का नामांकन हो सके।
आई0 सी0 डी0 एस0 की मदद से या नए शिशु केन्द्रों को खेला जायेगा ।
उपस्थिति का निरन्तर अवलोकन किया जायेगा ।
संकुल पर प्रति माह बैटक में आने वाली समस्याओं पर विचार किया जाये साथ ही उन्हे दूर करने के कदम उठाये जायेगे।
विद्यालयों में विषेश आयोजन किये जायेंगे ।
ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता विकास कार्यक्रम चलाये जायेगे।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

प्रारम्भिक बाल देख रेख प्रशिक्षण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रारम्भिकवाल शिक्षा से दोहरे लाभ हैं प्रथम यह कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों को तैयार करना । दूसरा ह विद्यालय जानेवाली बालिकाओं को छोटे भाई बहनों की देख-रेख से मुक्त कर विद्यालय में रहने का वसर प्रदान करता है । जनपद सीता पुर में इस तरह के निवास क्षेत्ररेउसा, सकरन, रामपुर मथुरा, हमदाबाद, बिसवा, आदि में केन्द्र संचालक दिये जायेंगे ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यकम चालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई.सी.डी.एस. के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें साधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अंतर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता गठित जिला परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

रणनीतियां

गवर्जेन्स– समेकित बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत किया जायेगा।

प्रशिक्षण सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाडी केन्द्रो के सम में समन्वय स्थापित किया जायेगा ।

अन्य शिविर

ग्रीष्म कालीन शिविर की उपयोगिता को देखते हुए इसे भी कार्य योजना में शामिल कि जायेगा । चिन्हाकिंत शालात्याग बस्तियों की बालिकाओं के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित कि जायेगे जो कि संख्या के आधार पर एन0 पी0 आर0 सी0 या बी0 आर0 सी0 स्तर पर होगे ।

साथ ही साथ जीवनोपयोगी अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण किशोरीन्वय बालिकाओं को दि जायेगा जिसके अन्तर्गत –

– आने वाल स्वस्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी एवं उनके बचाव के तरीके ।
– किशोरन्वय तनाव से बचने के उपाय एवं उनका समायोजन ।
– व्यक्तित्व विकास
– नेतृत्व क्षमता विकास
– वाणी सम्बोधन क्षमता विकास

उपरोक्त प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन होगी । प्रशिक्षण हेतु परीक्षक को बलाया जायेगा एव सम्मान स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ।

यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है ।

बालकेन्द

यह केन्द्र ने बच्चो विशेषकर बालिकाओं के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को आधार बनाकर पाठ्य क्रम विकसित किया जायेगा । जिससे वह अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके । महिला समाख्या के सहयोग से उनके द्वारा संचालित बाल केन्द्रो का लाभ सर्वशिक्षा अभियान के लिये किया जायेगा ।

औपचारिक विद्यालय में प्रवेश सहज बनाने के विचार से यह केंन्द्र बच्चों को पूर्ण रूप से तैयार करते है ।

किशोरी केन्द

यह ऐसी किशोरियों के लिए है जिन्होने प्राथमिक शिक्षा के बाद विद्यालय छोड दिया है । संघ की महिलाओं समुदाय एवं किशोरियों से विचार विमर्श के पश्चात इस आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये महिला समाख्या के अंतर्गत किशोरी केन्द्रो की स्थापना की जायेगी ।

किशोरी केन्द्र किशोरियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करके पढने का अवसर प्रदान करेगी । जिसमे समय को लचीला बनाया जायेगा । स्थानीय महिला शिक्षकों के चयन से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि होगी ।

शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना

यह सिद्ध हो चुका है कि वर्ष 3 – 6 आयु वर्ग के बच्चो के लिये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं की ड्राप आउट दर में कमी आती है चूकि जो बालिकाये छोटे भाई बहनों की देख रेख में लगी रहने के कारण स्कूल नही जा पाती है वे स्कूल जाने लगती है और अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाती है । सीतापुर जिले में 19 विकास खण्डों में से 18 आई0 सी0 डी0 एम0 के अतंर्गत आगॅनबाडी कार्यक्रम चलाया जा रहा है । विकास खण्ड ऐलिया मे एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा यू0पी0 बी0 ई0 पी0 में 50 शिशु शिक्षा केन्द्र चलाये गये विकास खण्ड के उस क्षेत्र में जहां ये केन्द्र चलाये गये इनका अच्छा प्रभाव पडा है और यहां बालिकाओं के अभिभावकों के अनुसार छोटे भाई बहनों की देख रेख मे लगी जो बालिकाये पहले विद्यालय छोड देती थी अब नियमित रूप से जाती है तथा उक्त संस्था द्वारा संचालित शिक्षा केन्द्रों के सभी बच्चों में प्राइमरी कक्षा में नामांकन करा लिया है । एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के मूल्यांकन में भी इनकी प्रंशसा की गयी है । अतः यह प्रस्ताव है कि उक्त संस्था को सर्व शिक्षा अभियान में 60 नये शिशु केन्द्र खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाय । तदनुसार धन का प्रावधान किया गया है ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव

जनपद में चिन्हांकित बस्तियों में बालिकाओं की शालात्याग दर अधिक है जो चिन्ता का विषय है इन बालिकाओं का विद्यालय छोड़ देने का कारण प्रायः इनके माँ बाप होते है । जो इन्हे अपने पैतृक व्यवसाय एवं बच्चों की देखभाल हेतु प्रयोग करते है । ऐसी बालिकाओं के लिए जनपद ने अपनी कार्ययोजना में कार्यानुभव आधारित वैकल्पिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया है ।

साथ ही ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करने हेतु आधुनिक संचार व्यवस्था का उपयोग करने एवं प्रोत्साहन एवं रूचि संवर्धन हेतु जिला कार्य योजना ने प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लाक में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक –2 कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव किया है । आने वाले वर्षो में इसकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में पॉच करने की है खैराबाद , लहरपुर, महमूदाबाद विकास खण्ड में कुछ क्षेत्र में बालिकाएं दरी बनाने का कार्य करती हे इस हेतु कार्यक्रम में दरी उद्योग कार्यानुभव के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

योजना को सफल बनाने के लिए मानक के अनुरूप धन का प्रावधान है जिसका उपयोग किया जायेगा । जिसमें अनुदेशक का चयन किया जायेगा जो कि कम्प्यूटर एवं दरी उद्योग के प्रतिशत होग हे मानक के अनुरूप मानदेय दिया जायेगा । साथ ही तैयार माल वहीं केन्द्रो पर बेचा जायेगा । प्राप्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप बालिकाओं में वितरित किया जायेगा । जिससे बालिकाओं की शालात्याग दर शून्य हो जायेगी ।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण

जनपद सीतापुर मे वर्ष 2000 – 2001 में अनु0 बालकों को 115371 अनुसूचित बालिकाओं को 91334 एव अन्य बालिकाओं को 240355 कुल 447060 को पाठ्य पुस्तकों का विवरण किया गया। आने वाले वर्षो मे छात्रों मे 2.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के आधार पर कुल बच्चों मे वृद्धि होगी। छात्रों के नामांकन में 2003 तक 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी वर्ष 2003 मे 127197 अनुसूचित जाति के बालको तथा 273941 बालिकाओ (अनुसूचित जाति व अन्य सभी) के लिये निशुल्क पुस्तको को वितरित करना प्रस्तावित है तथा शेष निम्न सारणी के अनुसार प्रतिवर्ष पुस्तको की आवश्यकता होगी –

वर्ष	अनुसूचित बालक	अनुसूचित बालिका	अन्य वर्ग बालिका	कुल योग
2001	115371	91334	240355	
2002	121140	95900	252373	
2003	127197	100696	263845	
2004	129741	102709	269650	
2005	132336	104764	275582	
2006	134983	106859	281645	
2007	137682	108996	287841	
2008	140436	111176	274174	
2009	143245	113400	300646	
2010	146109	115668	307260	

उच्च प्राथमिक विद्यालय में दी जाने वाली निःशुल्क पुस्तकें

वर्ष	बालक	बालिका	कुल योग
2001	12291	20313	32604
2002	12562	20759	33321
2003	12838	21216	34054
2004	13120	21683	34803
2005	13409	22160	35569
2006	13704	22647	36351
2007	14006	23146	37152
2008	14314	23655	37969
2009	14629	24175	38804
2010	14950	24707	39657

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

भूमिका

सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति में ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गई है । हमारे प्रदेश में ग्राम शिक्षा समितियों का अस्तित्व दो दशक से भी अधिक का है किन्तु इनकी प्रभावी भूमिका कुछ सीमित गतिविधियों तक ही रही है ।

सर्वशिक्षा अभियान के अधीन इन समितियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों / गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन का दायित्व दिया जायेगा साथ ही ग्राम की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी अमित्व दिया जायेगा । इसका मूल उद्देश्य यह है कि कि स्थानीय आवश्यकताओं के परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नियोजन में ग्राम शिक्षा समिति और इसके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता की भी सहभगिता निश्चित हो सके । यह एक नवीन चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है क्योकि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धक और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है ।

प्रत्येक विकास खण्ड से उत्कृष्ट कार्य के लिए दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25000/- रूपये का पुरूस्कार देने की योजना इस अभियान में सम्मलित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम शिक्षक समितियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी । यह प्रतिस्पर्धा मात्र अनुदान प्राप्त करने के लिए ही नही अपितु क्षेत्र प्रगति की शिक्षा व्यवस्था औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा दोनो विधाओं के माध्यम से विकसित और प्रभावी करने हेतु है।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे इन प्रस्तावों की डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

समेकित शिक्षा- विशेष वर्ग की शिक्षा

भारत की लगभग 5-10 प्रतिशत जनसंख्या किसी विकलांगता से ग्रसित है ।शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नही लाया जाता । बच्चों की विकलांगता का प्रभव जहां बच्चे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार के समुदाय को भी प्रभावित करता है जनपद सीतापुर में 811 बच्चे विकलांग चिन्हित किये गये है । नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य होना शेष है । इस सर्वेक्षण के पश्चात उक्त श्रेणी के बचें के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए निम्न मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य किया जाएगा ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है । समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है -

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता
5. अधिगम मन्दता

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्ट टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

समस्यायें

बच्चों में कुछ विकलांगतायें / अक्षमतायें जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है । साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है । बच्चों की अधिगम के निम्न कारण हो सकतें है ।

1. बौधिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति ।
2. देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई ।

3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना , अंगो की विकृति, मांस पेशियो के तालमेल न होने से क्रिया कलाप मे कठिनाई ।

4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्याये ।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है

माता पिता के स्नेह में कमी । बच्चों को हीन भावना से देखना । सीखने के समान अवसर न मिलना । शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षक का बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना ।

विकलांगता के कारण बच्चे अक्षम हो जाते है जिसके परिणाम स्वरूप

1. बच्चों मे आत्मनिर्भरता में कमी, चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित
2. परिवार में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता, आर्थिक बोझ अधिक ।
3. समाज में ध्यान देने की आवश्यकता, उत्पादन में कमी, समाज में एकीकरण में कमी ।

विश्लेषण

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां है । बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं माध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता नही होती, केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है । विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है ।

आवश्यकतायें / कार्य योजना

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते है इन्हे सहानुभूति नही बल्कि सहायता की आवश्कता है ।

संवेदीकरण

1. समुदाय का संवेदीकरण – इसके अन्तर्गत जन समुदाय को भ्रांतियो को दूर करना होगा साथ ही ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाना होगा । इस हेतु गोष्ठी एवं प्रचार माध्यम का उपयोग किया जायेगा ।
2. परिवार एवं भाई – बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा सामूहिक जनसभा करके । विकलांगता अभिशाप नही है । हमे ऐसे बच्चों को दया नही सहयोग देना चाहिये जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके ।
3. अध्यापको का संवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना है कि ऐसे बच्चों के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हे इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का निर्धारण किया जायेगा।

उपकरण एवं उपस्कर

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोपेडिक्ट, एक ई0 एन0 टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेंट कराया जायेगा फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी । उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ही की जाती है इसके लिये निम्न संस्थाओ से सम्पर्क किया जा सकता है –

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116, राजपुर रोड, देहरादून।
2. एलिम्को, जी0 टी0 रोड, कानपुर – 208 016 ।
3. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एडं रिसर्च सेंटर, कर्करडूमा, विकास मार्ग, दिल्ली ।

4. मंगलम्, ए – 455, इंदिरा नगर, लखनऊ ।
5. यू0 पी0 विकलांग केन्द्र, 13, लकूलगंज, इलाहाबाद ।
6. जिला पुर्नवास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर ।

अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से किया गया है जिसमे विकलांग बच्चो को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है । समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनीवर्सिटी, बरेली, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एडं रिसर्च सेंटर कर्करडूमा विकास मार्ग दिल्ली एवं उ0 प्र0 विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी, 13, लूकरगंज, इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है ।

शिक्षकों के लिये सामग्री का विकास

शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया गया तथा पांच विकलांगताओ दृष्टि, श्रवण, अधि गम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये है । जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये आप क्या कर सकते है ? फोल्डर विकसित किया गया है ।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया गया है

– विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन ।
– विकलांगता बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना ।
– इन बच्चों के समूहों के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना ।
– कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन ।
– इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
– विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयं सेवी संस्थाओ की भागीदारी

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीक सहायता देने हेतु स्वयं ऐसी सस्थाओं की भागीदारी ली जायेगी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रतायें रखती हो –

– संस्था / सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्षो पूर्व रजिस्टर्ड हो ।

– संस्था के विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की आवश्यकता ।

– विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

– संस्था विकलांग जन अधिनियम 1955 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो ।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण

1. ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य संकल्पनाओं के बारे में अवगत कराना । अंतरक्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए । बैठक में जॉच दल का चुनाव किया जायेगा ।
2. चिकित्सा दल चुने हुए स्कूल के अध्यापक अध्यापिका के साथ मिलकर छात्रों की जॉच पर विचार – विमर्श कर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए ।
3. तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा चुने जायेगे ।
4. विशेषज्ञों को बुलाया जायेगा ।
5. विशेषज्ञों को सम्मान स्वरूप धनराशि दी जायेगी ।

विश्लेषण

जनपद सीतापुर पूर्व मे उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा है जिसके अन्तर्गत माइक्रोप्लालिंग एवं परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सफल प्रयास किया जा चुका है। उस क्रम को बनाये रखने एवं शेष एवं अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी ढंग से कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा जिसके हमारा उद्देश्य पूरा हो सके ।

ऑकडो का विश्लेषण करके प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एक ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी जिससे बच्चों के नामांकन तथा शैक्षिक सुविधाओं / कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा सके । इस कार्य योजना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गॉव के शत प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामाकंन हो और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हो।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन एवं स्वरुप

संविधान के 73वें शंसोधन के फलस्वरुप पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन किये गये हैं। उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 2000 के अन्तर्गत गठित शिक्षा समिति का स्वरुप निम्नवत होगा –

1–	प्रधान	अध्यक्ष
2–	प्रधानाध्यपक	सदस्य सचिव
3–	3 अभिभावक	छात्रों के 3 अभिभावक जिसमें 1 महिला होगी। (स0बे0शि0अधि0 द्वारा नामित)

यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक स्कूल हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव होगा।

उत्तर दायित्व

1– शिक्षा के अनुकूल वातावरण निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

2– पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, उच्च प्राथ0 शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता से सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन

3– शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ पर प्रशासकीय नियन्त्रण –

(1) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(2) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापको और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें।

(3) शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी के चयन का अधिकार

(4) बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लगातार अनुश्रवण करना।

ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के उद्देश्य

1– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा के पूर्णतः अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना

2– प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण विशेष रुप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिए वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के संदर्भ में (सेन्सिटाइज करना) जागरुक बनाना

3– विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना

4– आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना

5– अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन, सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यक्ति एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना

शैक्षिक उत्तरदायित्व वहन करना

1– ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रति माह करना

2– आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूलों का चयन, चयन स्थल आदि कार्यवाही

3– नये विद्यालय का निर्माण तीन माह मे सुनिश्चित कराना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना

4– विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव

5– वित्तीय संसाधन जुटाना

6– स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना। शिक्षण सामग्री आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री एवं साइन्स किट का समुचित प्रयोग करवाना

7– प्राथमिक विद्यालय में समस्त बच्चों का नामांकन करवाना। जुलाई से सितम्बर तक 'स्कूल चलो अभियान चलवाना

8– स्कूल में बच्चो का धारण में स्थायित्व बालिकाओ और अपवंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना

9– विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना

10– स्कूल के बाहर बच्चों, विशेष रुप से बालिकाओं बाल मजदूरों की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कराना

11– शिक्षक मातृसंघ एवं अभिभावक शिक्षक संघों को गठित करना तथा उनकी नियमित बैठकें करवाना

12– वनदिभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करवाना समुदाय को प्रेरित कर विद्यालय की आवश्यकतानुसार दान/श्रम के रुप में प्राप्त करना

13– अनु0 जाति, अनु0 जनजाति के बच्चों का सभी बालिकाओं को निशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करवाना

14– ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो पर बच्चों का नामांकन, संचालन में सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना

15– स्वास्थय विभाग के सहयोग से बच्चों का नियमित हेल्थ चैकअप करवाना कार्ड तैयार करवाना तथा बच्चों को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना

16– युवक मंगल दल एवं युवती मंगल दलों को प्रेरित करना ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम स्कूलों की सफाई, निर्माण आदि में श्रम दान करके सहयोग दे सकें

17– कक्षा में इमला लिखवाना, जोर से पढवाना, गृहकार्य एवं जॉच कार्य आदि कार्यों को नियमित करवाना

18– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का वितरण करवाना

19– शिक्षा सिर्फ कक्षा तक ही सीमेत न रहे इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है अतः हमारे परिवेश में विभिन्न व्यवसायों–मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने, बढई गिरी, लोहार गिरी के कुशल कारीगरों अच्छे कहानी वाचक, गायक, वादक, कहानीकारों को समय–समय पर बच्चों से वार्तालाप कर विभिन्न जानकारी देने के लिए बुलाया जाय इससे बच्चों के दृष्टिकोण में कार्य की महत्ता पहचानने में बढ़ावा मिलेगा। अतः इन व्यक्तियों की संदर्भ व्यक्ति के रुप में पहचान कर सूची बना ली जायगी।

20– प्राथमिक विद्यालय में 10–10 पुस्तकें प्रति कक्षा रखकर बुक बैंक की स्थापना करायें। इन पुस्तकों को सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को वितरित करवायें एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाय।

समुदाय से निम्न अपेक्षाऐं हैं

1– शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों से अधिगम

स्तर, शिक्षा पद्धति शिक्षण–छात्र अर्न्तव्यवहार।

2– होशियार छात्रों को प्रोत्साहन तथा अन्य बच्चें को बेहतर करने व सीखने हेतु पुरस्कार वितरण की व्यवस्था

3– विद्यालय जाने वाले छात्रों को माह में एक दिन स्वास्थ्य व स्वछता शिक्षा व इस हेतु श्रमदान तथा इसकी आवश्यकता पर चर्चा

4– स्कूल व घरों का वातावरण स्वच्छ बनाने गलियों में साफ–सफाई हेतु समुदाय को प्रोत्साहित करना

5– गरीब बच्चों हेतु स्कूली पोशाक की व्यवस्था ग्राम स्तर पर धनाड्य परिवारो द्वारा कराने हेतु प्रोत्साहित करना

6– शिक्षण एवं शिक्षण वातावरण सुन्दर एवं सुरुचिपूर्ण बनाने हेतु आवश्यकतानुसार टाटपट्टी, पंखे, डेस्क व अतिरिक्त कक्ष व्यवस्था धनी परिवारों द्वारा कराये जाने हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। बच्चों के द्वारा निर्मित क्राफ्ट की प्रदर्शनी आयोजित करवाना

7– नियमित स्वच्छ तथा होशियार बच्चों को चिन्हित करना व बैठकों मे उनका नाम लेकर प्रोत्साहन देना जिससे अन्य बच्चों में बेहतर करने की इच्छा बढ़े

8– आस पास की ग्राम समितियों के प्रतिनिधियों से उनके द्वारा शिक्षा व शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर करने के प्रयास को बैठक में बांटना व अपने ग्राम के द्वारा किये जा रहे प्रयासों को प्रचारित करना जिससे अपने ग्राम को आदर्श के रुप में स्थापित कर सके

9– वे बच्चे जो विद्यालय से पढ़ कर आज अच्छे पदों पर पहुँच गये हैं वे बच्चों को उत्साहित करने के लिए सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे के लिए छात्रवृत्ति रख सकते हैं।

10– अगर बच्चों की संख्या अधिक हो और अध्यापक कम हों तो समुदाय स्वयं खर्च वहन कर अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था विद्यालय के लिए कर सकते हैं।

11– सम्पन्न व्यक्तियों के सहयोग से विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक एड्स एण्ड एपलाइन्स की व्यवस्थ कराना

12– विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों (विकलांग बच्चे भी) की प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरण कराना

13– शिक्षको के पूरक के रुप में बड़ी कक्षाओं को छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना

14– स्कूल के वार्षिक समापन दिवस पर रिजल्ट बांटना तथा कार्यक्रम के आयोजन में मदद करना

शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण

1– जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों, विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों, मशाल जुलूसो आदि का आयोजन करना

2– समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी आदि आयोजित करना

3– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्यो के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार करना

4– गाँव के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवाकर प्रस्तुतीकरण करवाना

5– पोस्टर, गीत, नारो, कहानियों, चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को उजागर करना

6– बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित अन्धविश्वासो पूर्वाग्रहों आदि को दूर करना

7– बालिका का शिक्षित होना बालक से भी और अधिक आवश्यक है– अभिभावकों में यह भावना जागृत करना।

8– सहभागी क्रियाओं, अभिनय आदि के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुतीकरण करना कि बेटी भी कर सकती है आपके सपने पूरे, आपके परिवार का नाम रोशन

9– विद्यालय भ्रमण, विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना

10– क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाल मेलों, प्रदर्शनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगा कर आडियो/वीडियो कैसेट का पसारण तथा प्रदर्शन करना

11– अन्तर्कक्षीय/अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित करना

12– स्कूल चलो अभियान आयोजित करना

13– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना

14– बालिकाओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान मीना फिल्म, प्रदर्शन एवं चर्चा

15– सामूहिक पी0टी0 प्रतियोगिता

16– विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना

17– खेल कूद प्रतियोगिताओ का आयोजन एवं पुरस्कार देना

18– अभिभावक–शिक्षक बैठकों का आयोजन

19– राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन/त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं द्वारा गाँव के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सार्वजनिक रुप से सम्मानित करना

20– अन्तर्राष्ट्रीय दिवसो का आयोजन

21– दीवार–समाचार–पत्र, नारे लेखन, महत्वपूर्ण स्थानो पर नारे, सूक्तियां, विचार लेखन आदि

22– पुस्तालय/वाचनालय का प्रयोग

23– साक्षरता प्रसार कार्य

24– विद्यालय के लिए श्रम दान

25– नारे व सूक्तियों का निर्माण प्रतियोगिता

26– 'आकर्षक स्कूल भवन' रखरखाव प्रतियोगिता

27– सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण प्रतियोगिता

28– न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं–लेखन, सुस्वर पाठन प्रतियोगिता

29– छात्रों में गणवेश में आने की सुविधा

30– छात्रों में व्यक्तिगतस्वच्छता, सफाई, नाखून काटना, स्वच्छ दांत, प्रतिदिन स्नान करना, बालों की स्वच्छता एवं विन्यारा, जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु प्रतियोगिताएं।

अन्य विभागों से सम्बन्ध एवं सहयोग

ग्राम पंचायत

स्वास्थ्य विभाग

1– ग्राम वासियों को व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरुक करना

2– ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चों को टीके लगवाना

3– गाँव में स्वास्थ्य घर खुलवायें जहाँ दवाइयां, ओ0आर0एस0 के पैकेट, आयरन की गोलियां आसानी से मिल सकें ।

4– गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण जांच टीके एवं प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करना।

महिला एवं बाल विकास विभाग –

1– यदि आंगन बाड़ी केन्द्र नहीं है तो बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर खुलवायें।

2– आंगन बाड़ी कार्यकत्री की सहायता से बच्चों का नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों को कुपोषण न हो सके

3– सभी बच्चों नियमित एवं समय पर टीके लगवायें

4– गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फौलिक ऐसिड गोली दें।

विकलांग कल्याण विभाग –

1– विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण–पत्र बनवायें

2– जिला विकलांग कल्याण विभाग से नियमानुसार पेन्शन, उपकरण की व्यवस्था करना

श्रम विभाग –

श्रम विभाग के सहयोग से 6–14 वर्ष वर्ग के बाल मजदूरों की पहचान करना एवं बच्चों की एन0सी0एल0पी0 के स्कूल एवं प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था करना

जल विभाग –

1– खराब हैण्ड पम्प की मरम्मत

2– मानक के अनुसार नये हैण्ड पम्प की व्यवस्था करना.

3– हैण्ड पम्प के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए मॉक के लोगों की पहचान कर प्रशिक्षित करवाना.

4– कुओं की सफाई हेतु नियमित दवा डलवाना

वन विभाग –

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपण में सहयोग लेना

का छात्रवृत्ति की समय से वितरण की व्यवस्था करवाना

आपूर्ति विभाग –

विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार का नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवा

महिला समाख्या –

बालिकाओं के नामांकन, सम्प्राप्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सबलीकरण हेतु सा
लेना।

अध्याय–9
शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन नियोजन

जनपद की स्थिति

किसी भी जनपद की समृद्धि और खुशहाली में उस क्षेत्र विशेष की शैक्षिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान होता है । सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद सीतापुर की कुल साक्षरता दर 31.41 प्रतिशत थी। इस साक्षरता दर से स्पष्ट है कि जनपद की पूरी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षा के अभिशाप से ग्रस्त है। जनपद की नगरीय साक्षरता की तुलना में जो सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 56.28 प्रतिशत थी ग्रामीण साक्षरता की दर 27.98 प्रतिशत है जो बहुत कम है । इन ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस जनपद का ग्रामीण क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है । जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र की साक्षरता दर में व्यापक असमानता है उसी प्रकार पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर में व्यापक असमानता दिखाई देती है। जनपद में साक्षरता 1991 की जनगणना के अनुसार पुरूष 43.10 तथा महिलाओं की 16.90 ही थी ।

सीतापुर जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 19 बी.आर.सी. तथा 219 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रिओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन में कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थल शैक्षिक स्पोर्ट भी दिये जाते हैं। जिसकी रिपोर्ट डायट के माध्यम से परियोजना कार्यालय की भेजा जाता है। इसी प्रकार से बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की अकादमिक संसाधन समूह की बैठक में कठिनाइयों के निवारण कार्यक्रम बनाये जाते हैं।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 1999 में बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे मासिक शिक्षण योजना के आधार पर विभाजित कर सभी शिक्षकों, एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. तथा डायट को उपलब्ध कराया गया है इसके

अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित होकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया जा रहा है।

जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 19 बी.आर.सी. तथा 219 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्कताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 135 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों की अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किय गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथनिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

वर्तमान समय में जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 2338 परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं नगर क्षेत्र में कुल 273 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं। जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 804 है। इन विद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों की संख्या 60 है जिनमें कक्षा 6–8 संचालित हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जिले के अधिसंख्य परिवार ऐसे हैं जहॉ शिक्षा प्राप्त करने के समुचित वातावरण का अभाव है। यद्यपि जिले में चलने वाले बेसिक शिक्षा परियोजना, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, स्कूल चलो अभियान एवं अन्य प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुछ सीमा तक शैक्षिक वातावरण का सृजन हुआ है लेकिन अभी भी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में शिक्षा के प्रति उदासीनता का भाव दिखाई देता है। समाज के इस भाग में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल है।

ग्राम शिक्षा समिति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने एवं स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद सीतापुर में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया है। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के

लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति– संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूलों के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर के पर्यवेक्षण में सुविधा हुई हैं तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वार्तावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों की भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।

- प्रशिक्षण के उपरांत फालोअप खास्तकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शैक्षिक योग्यता :

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 'स्नातक' तथा 'प्रशिक्षित' (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 23.7 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

सारणी–01में जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता एवं उनके अनुभव की स्थिति दर्शायी गयी है। कुल प्राथमिक शिक्षकों का लगभग 21प्रतिशत भाग ऐसे शिक्षकों का है जिनकी शैक्षिक योग्यता मात्र हाईस्कूल अथवा उससे भी कम है। ऐसे शिक्षकों के विषय ज्ञान के विस्तार के लिये प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। लगभग 03 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षक अप्रशिक्षित हैं जिन्हें शिक्षण विधियों का ज्ञान कराने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षकों के अनुभव को देखने से स्पष्ट है कि लगभग 18 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका शिक्षण अनुभव 05 वर्ष से कम है, इन्हें सेवापूर्वागम प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार लगभग 20 प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जिनका शिक्षण अनुभव 10 से 20 वर्ष है। इनके लिये नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लगभग 25 प्रतिशत शिक्षक ऐसे है जिनका सेवाकाल 25 वर्ष से अधिक है, उनके लिये विषय ज्ञान विस्तार एवं नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये बदले हुये परिवेश में नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों की आवश्यकता है।

सारिणी –1

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

क0सं0	विषय	प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1	शिक्षकों की कुल संख्या	3792	1422
2	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	156	05
3	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	649	17
4	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	93	–
5	स्नातक अप्रशिक्षित	21	–
6	क, विज्ञान शिक्षक	–	301
	ख, सस्कृत/उर्दू शिक्षक	92	532

7	परास्नातक अप्रशिक्षित	08	253
8	इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित	1439	643
9	स्नातक एवं प्रशिक्षित	949	357
10	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	477	147
11	शिक्षण अनुभव		
	क, 5 वर्ष से कम	864	104
	ख, 5 से 10 वर्ष तक	763	230
	ग, 10 से 15 वर्ष तक	520	265
	घ, 15 से 20 वर्ष तक	404	291
	ड, 20 से 25 वर्ष तक	346	201
	च, 25 से 30 वर्ष तक	445	177
	छ, 30 वर्ष से अधिक	450	154

स्रोत : बी0 एस0 ए0, सीतापुर

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता संवर्द्धन के लिये विगत 07 वर्षों में बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉच चक्रीय सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा चुका है। जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यद्यपि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये विज्ञान एवं गणित विषयों के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा चुका है परन्तु इस स्तर पर किया गया प्रयास बहुत सीमित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता बढ़ाने हेतु व्यापक रूप से प्रशिक्षणों के चलाये जाने की आवश्यकता है।

प्रथम चक्र

प्रथम चक्र में "प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य करें। डायट में यह प्रशिक्षण 15 दिनों का था। इस प्रशिक्षण के निम्न लक्ष्य थे :–

1. शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी प्राथमिक शिक्षकों को देना।
2. विद्यालय को आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सके।
3. शिक्षा को जीवन से जोड़ा जा सके।
4. विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
5. स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

द्वितीय चक्र :

विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रशिक्षण में नौ दक्षताओं पर बल दिया गया। कक्षा 01 से 05 तक के पाठों का विकास दक्षता आधारित हुआ है। ये दक्षतायें निम्न है – जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों को समझना, व्यवहारिक व्याकरण, स्वः अधिगम, भाषा प्रयोग, शब्दावली नियन्त्रण आदि समाहित था।

इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विचार के साथ–साथ बच्चे को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से भाषा का प्रयोग करना आ जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्र भाषा में प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लें।

तृतीय चक्र :

अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था। छात्रों में रूचि का विकास करना और पढ़ी गयी विषय वस्तु को भली भाँति समझ लेना। शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ कक्षा 01 से 05 छात्र तक के छात्रों के लिए भाषा में अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में इन्द्रधनुष पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी।

चतुर्थ चक्र :

1. एक क्रिया कलाप द्वारा कई सम्बोधों को स्पष्ट करने के कौशलों का विकास करना।
2. गणित के पाँच अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्याओं का समझना, जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग की संक्रियाएं, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र एवं समय का मापन, दशमलव एवं प्रतिशत तथा ज्यामिति आकृति की जानकारी बच्चों को किस प्रकार दी जायेगी तथा इन सम्बोधों की कैसे स्पष्ट किया जायेगा और इन पर कौन–कौन सी क्रियाएं करायी जा सकती हैं, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

उपर्युक्त प्रशिक्षणों का कक्षा शिक्षण में आंशिक किन्तु सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। इन प्रशिक्षणों के अनुश्रवण से कुछ कठिनाइयों का भी पता चला है। वस्तुतः अधिकांश शिक्षक परम्परागत शिक्षण के आदी हैं। अतः नवीन शिक्षण विधाओं के अपनाने की उनकी गति बहुत धीमी है। इस प्रकार शिक्षकों के मनोवृत्ति में बदलाव बहुत धीरे–धीरे आ रहा है। अपेक्षित परिवर्तन के लिये निरन्तर प्रशिक्षण के साथ ही साथ नियमित अनुश्रवण एवं सपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा को अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गईं इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र, मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि में शिक्षकों को रु0 500 वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वे सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं और उनका कक्षा में उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा डायट स्तर पर मैटीरियल मेले का आयोजन किया गया जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और कक्षा शिक्षण में शिक्षण सामग्री का समुचित उपयोग बढ़ा है।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 1999 में बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे मासिक शिक्षण योजना के आधार पर विभाजित कर सभी शिक्षकों, एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. तथा डायट को उपलब्ध कराया गया है इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित होकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया जा रहा है।

ऐक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद सीतापुर में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
2. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप के कार्य किए जाते हैं।
3. विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
4. वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
5. शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
6. एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
7. ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
8. डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ–सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी.

समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एन.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाईयों का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अकादमिक सहयोग देने हेतु डायट के प्रवक्ताओं, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के नियमित विद्यालय भ्रमण की व्यवस्था की गयी है। ये विद्यालयों में जाकर कक्षा शिक्षण व विद्यालय की अन्य गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्यों में आवश्यकतानुसार अनुसमर्थन प्रदान करते हैं। इन पर्यवेक्षकों द्वारा विद्यालयों में आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण को देखते हुये उनकी प्रतिमाह ग्रेडिंग की व्यवस्था है। ग्रेडिंग करते समय श्रेणी 'स' व 'द' को कुछ विशेष सुधारात्मक सुझाव दिये जाते हैं और यह प्रयास किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय अपना सुधार करके उच्च श्रेणी के विद्यालय में आ जाय।

जनपद में लागू अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली के आधार पर विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है–

सारिणी–02
अकादमिक पर्यवेक्षण एवं श्रेणीकरण

कमांक	विकास खण्ड	विद्यालयों की संख्या	श्रेणी			
			अ	ब	स	द
1	बिसवां	146	38	45	47	16
2	खैराबाद	114	90	10	14	00
3	कसमण्डा	106	24	59	22	01
4	पिसावां	121	24	72	28	07
5	सकरन	99	17	45	35	02
6	महमूदाबाद	104	10	50	21	23
7	लहरपुर	103	65	32	06	00
8	महोली	115	47	46	16	06
9	सिधौली	112	05	106	01	00
10	गोंदलामऊ	123	36	60	21	06
11	मछरेहटा	113	40	47	24	02
12	पहला	110	16	93	01	00
13	मिश्रिख	102	42	55	03	02
14	रेउसा	118	62	48	08	00
15	हरगांव	120	01	76	27	16
16	एलिया	113	10	96	05	02
17	बेहटा	111	44	39	28	00
18	परसेंडी	120	32	65	23	00
19	रामपुरमथुरा	108	02	50	45	11

स्रोत : डायट, सीतापुर

उपर्युक्त सारिणी–02 में अकादमिक पर्यवेक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का विकास खण्डवार श्रेणीकरण प्रदर्शित किया गया है। आंकडों से स्पष्ट है कि 2068 प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया गया। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 प्रतिशत विद्यालय ही श्रेणी अ में आ सके हैं और लगभग 05 प्रतिशत विद्यालय अभी तक श्रेणी द में हैं। यद्यपि अकादमिक अनुसमर्थन एवं पर्यवेक्षण कार्यकम गहनता से संचालित किया गया जिससे श्रेणी अ की ओर बढ़ने वाले विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि अभी काफी प्रयास की आवश्यकता है। लगभग 48 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय श्रेणी ब में हैं जो सभी श्रेणियों में सर्वाधिक हैं। बी.आर.सी/सी.आर.सी. स्तर के पर्यवेक्षण की बारम्बारता बढ़ाने एवं अनुभवों के विनिमय से धनात्मक परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। श्रेणी द के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को विशेष अनुसमर्थन/ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

विद्यालयों के श्रेणीकरण की यह प्रकिया अभी तक प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है। उच्च प्राथनिक विद्यालयों को इस प्रकिया में शामिल नहीं किया जा सका है क्योंकि बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. इस कार्य के लिये पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हो सके हैं। श्रेणीकरण की इस प्रकिया में उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध उच्च प्राथगिक कक्षाओं एवं मदरसों को भी शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.35 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

बच्चों की स्थिति –

प्राथमिक शिक्षा को बढावा देने के लिये उनके लिये अनेक प्रकार की प्रोत्साहन योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन प्रोत्साहन योजनाओं में बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का प्रमुख स्थान है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बच्चों अल्पसंख्यकों एवं कुछ पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने की वयवस्था है। पिछले वर्ष से अनु0जाति के बच्चों एवं बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु पोषाहार की व्यवस्था की गयी है। इन प्रोत्साहन योजनाओं का बच्चों के नामांकन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परन्तु जनपद के शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों एवं बाल श्रमिक बच्चों की शिक्षा के लिये बहुत कम प्रयास किया गया है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

जिले में संचालित बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा–02 एवं 05 के बच्चों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि स्तर को आंकने के लिये 03 बार अध्ययन किये गये हैं। इन अध्ययनों में 04 विकासखण्ड के कुल 45 विद्यालयों को रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर शामिल किया गया था। इनका विवरण निम्नवत् सारिणी 03 अ एवं 03 ब में दिया गया है।

सारणी–03(अ)

कक्षा–2 के बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति प्रतिशत में

विषय	बेस लाइन एसेसमेन्ट स्टडी	मध्यावधि एसेसमेन्ट स्टडी	फाइनल एसेसमेन्ट स्टडी
भाषा	58,70	37,90	76,35
गणित	49,03	43,50	80,45

स्रोत : बो0 ए0 एस0, एम0 ए0 एस0 तथा एफ0 ए0 एस0 रिपोर्ट

प्रस्तुत सारणी–03 अ में बेसलाइन एसेसमेन्ट, मध्यावधि एसेसमेन्ट एवं फाइनल एसेसमेन्ट स्टडी के अन्तर्गत कक्षा–2 के बच्चों की भाषा एवं गणित में औसत उपलब्धियों के ऑकड़ों को प्रतिशत में दर्शाया गया है। स्पष्टतः भाषा में उपलब्धि का स्तर 58.70 प्रतिशत से मध्यावधि एसेसमेन्ट के समय घटकर 37.90 प्रतिशत रह गयी लेकिन विशेष ध्यान देने के उपरान्त फाइनल एसेसमेन्ट स्टडी में इसके अत्यन्त सकारात्मक परिणाम निकले और यह स्तर 76.35 प्रतिशत पहुंच गया है। इसी प्रकार गणित में उपलब्धि का स्तर 49.03 से बढकर फाइनल मूल्यांकन में 80.45 प्रतिशत हो गया है, जो सकारात्मक परिणाम का द्योतक है।

सारणी–03 (ब)
कक्षा–5 के बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति (प्रतिशत में)

विषय	बेस लाइन एसेसमेन्ट स्टडी	मध्यावधि एसेसमेन्ट स्टडी	फाइनल एसेसमेन्ट स्टडी
भाषा	36.38	45.19	90.94
गणित	25.70	38.03	91.02

स्रोत : बी0 ए0 एस0, एम0 ए0 एस0 तथा एफ0 ए0 एस0 रिपोर्ट

उपर्युक्त ऑकड़े दर्शाते हैं कि कक्षा–5 के बच्चों की भाषा एवं गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर निरन्तर बढ़ता गया है। भाषा में बेसलाइन सर्वे के समय बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 36.38 प्रतिशत थी जो फाइनल सर्वे के समय बढ़कर 90.94 प्रतिशत हो गयी । इसी प्रकार गणित में बेसलाइन सर्वे में जो उपलब्धि मात्र 25.70 प्रतिशत थी फाइनल सर्वे के समय बढ़कर 91.02 प्रतिशत हो गयी। स्पष्टतः जिले में संचालित बेसिक शिक्षा कार्यक्रम का बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिसे जारी रखने एवं उपलब्धि प्रतिशत को बढ़ाने के लिये निरन्तर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है।

निम्नांकित सारणी–03(स) एवं 03(द) में फाइनलएसेसमेन्ट स्टडी के आधार पर क्रमशः कक्षा–2 एवं 5 के बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के आंकड़े दिये गये हैं। इन सारिणियों से स्पष्ट होता है कि कितने प्रतिशत बच्चे उपलब्धि के किस स्तर पर हैं।

सारणी–03(स)
कक्षा–2 के बच्चों की भाषा एवं गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर

उपलब्धि प्रतिशत में– / बच्चों की संख्या: %	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100
भाषा	–	–	–	0.2	4.0	11.9	18.1	35.2	19.3	11.3
गणित	–	–	–	–	–	7.18	9.83	35.54	24.76	22.69

स्रोत :एफ0 ए0 एस0 रिपोर्ट 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

उपर्युक्त सारिणी–03(स) से स्पष्ट है कि मात्र 0.2 प्रतिशत बच्चे ऐसे रहे हैं जिनकी भाषा में उपलब्धि का स्तर 30 से 40 प्रतिशत के बीच रहा है। 11.9 प्रतिशत बच्चों की उपलब्धि का स्तर 50 से 60 प्रतिशत है। 18.1 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी उपलब्धि 60 से 70 प्रतिशत रही है।

35,2 प्रतिशत बच्चों की उपलब्धि 70 से 80 प्रतिशत रही है और 11,3 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी भाषा में उपलब्धि का स्तर 90 से 100 प्रतिशत है।

इसी प्रकार कक्षा–2 के बच्चों की गणित में उपलब्धि का स्तर काफी उत्साहवर्द्धक है। मात्र 7,18 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनके उपलब्धि का स्तर 50 से 60 प्रतिशत रहा है। 9,83 प्रतिशत बच्चों की उपलब्धि का स्तर 60 से 70 प्रतिशत तक पाया गया है। 35,54 प्रतिशत बच्चों के उपलब्धि का स्तर 70 से 80 प्रतिशत तक है। 24,76 प्रतिशत बच्चों की उपलब्धि 80 से 90 प्रतिशत है जबकि 22,69 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति 90 से 100 प्रतिशत तक है।

सारणी–03(द)

कक्षा–5 के बच्चों की भाषा एवं गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर

उपलब्धि प्रतिशत में– / बच्चों की सख्या: %	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100
भाषा	–	–	–	–	–	–	2.2	1.2	25.4	71.2
गणित	–	–	–	0.4	2.0	1.0	–	1.6	33.5	61.5

स्रोत :एफ0 ए0 एस0 रिपोर्ट 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

सारणी–03(द) से स्पष्ट है कि कक्षा–5 के 71,2 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी भाषा में शैक्षिक सम्प्राप्ति 90 से 100 प्रतिशत है। 25,4 प्रतिशत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति 80 से 90 प्रतिशत है। मात्र 1,2 प्रतिशत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति 70 से 80 प्रतिशत है। स्पष्टतः 60 प्रतिशत से कम शैक्षिक सम्प्राप्ति का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन गणित में 0,4 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति 30 से 40 प्रतिशत है। इसी प्रकार 40 से 50 प्रतिशत शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले 2,0 प्रतिशत बच्चे हैं। स्पष्टतः इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। जबकि 61,5 प्रतिशत बच्चों की गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति 90 से 100 प्रतिशत तक है और 33,5 प्रतिशत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति 80 से 90 प्रतिशत तक है। ये परिणाम बहुत उत्साहवर्द्धक हैं लेकिन उपर्युक्त स्तर को बनाये रखने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाते रहने की आवश्यकता है।

अगस्त–सितम्बर 2000 में जनपद के चार विकासखण्डों के 10 प्राथमिक विद्यालयों में **'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी'** की गयी ए स्टडी आफ क्लास रूम प्रोसेस सीमेट,1998–99 तथा **'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी'**, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 (2000) अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं–

1. सेवापूर्व एवं सेवारत् दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों में क्लास रूम प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट की जानी चाहिये।

2. शिक्षकों के विषय ज्ञान का विस्तार ही काफी नहीं है बल्कि शैक्षिक सत्र के आरम्भ में ही शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकों एवं आधुनिक सूचना तकनीकों से अवगत कराया जाना चाहियें।

3. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की बी0आर0सी0 स्तर पर सूचना तकनीक के उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

4. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकिया को लागू करने के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की डिजाइनिंग के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाय। परीक्षणों को विश्वसनीय बनाने के लिये निर्धारित नियमों की जानकारी शिक्षकों को दिया जाना चाहिये।

5. क्लासरूम की प्रकिया में सुधार लाने के लिये शिक्षकों का बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उन्हें एक्शन रिसर्च की रणनीति बनाने हेतु जानकारी देना आवश्यक है।

6. शिक्षकों एवं बच्चों को सकियता प्रदान करने के उद्देश्य से डायट,एन0जी0ओं0 और शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक शिक्षण सामग्री एवं अनुपूरक साहित्य का विकास किया जाना चाहिये।

7. विद्यालयों के सामाजिक रूप से अपवंचित एवं अकादमिक रूप से पिछडे हुये बच्चों की देखभाल करने के लिये बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है।

8. शिक्षकों एवं बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने एवं पाठ सहगामी कियाओं को प्रोत्साहित करने के लिये विद्यालय स्तर पर गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

9. विद्यालय के अकादमिक, सामाजिक व अन्य परिणामों को जानने के लिये हर दूसरे वर्ष मूल्यांकन करके अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरस्कार एवं अन्य प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके लिये जिला स्तर के प्राधिकारी के सहयोग से डायट स्तर पर योजना निर्माण की आवश्यकता है।

10. शिक्षण में प्रयोग हेतु, सहायक सामग्री के निर्माण एवं अन्य दृश्य–श्रृव्य उपकरणों को बढ़ावा देने के लिये सी0आर0सी0 स्तर पर उचित निर्देश दिया जाना चाहिये। इस प्रकार शिक्षण में सुधार लाने वाले शिक्षकों की पहचान करके उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन –

जनपद के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं बच्चों का परस्पर अनुपात बहुत असन्तुलित है। निम्नांकित सारणी–04(अ) एवं 04(ब) में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति स्पष्ट है:–

सारणी–04(अ)
प्राथमिक विद्यालय

एक शिक्षक वाले विद्यालय	दो शिक्षक वाले विद्यालय	तीन शिक्षक वाले विद्यालय	चार शिक्षक वाले विद्यालय	पॉच शिक्षक वाले विद्यालय	पॉच से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय
993	786	212	100	36	12

स्रोत : बी0 एस0 ए0, सीतापुर

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बहु कक्षा श्रेणी शिक्षण की आवश्यकता है। मात्र 0,01 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या के हिसाब से आदर्श स्थिति कही जा सकती है। लगभग 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ मात्र दो शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है। शिक्षकों को बहुश्रेणी शिक्षण का प्रशिक्षण देकर उपर्युक्त समस्या को कुछ सीमा तक सुलझाया जा सकता है।

सारणी – 04(ब)
उच्च प्राथमिक विद्यालय

एक शिक्षक वाले विद्यालय	दो शिक्षक वाले विद्यालय	तीन शिक्षक वाले विद्यालय	चार शिक्षक वाले विद्यालय	पॉच शिक्षक वाले विद्यालय	पॉच से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय
58	72	66	73	83	54

स्रोत : बी0 एस0 ए0, सीतापुर

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि लगभग 05 प्रतिशत उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों की संख्या के अनुसार कक्षा की आदर्शात्मक स्थिति है, जबकि लगभग 32 प्रतिशत उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जहॉ बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण की आवश्यकता है।

विद्यालयों के पर्यवेक्षण से पता चलता है कि कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये प्राथमिक स्तर पर काफी प्रयास किया गया है। इस प्रयास के फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं में सहायक सामग्री का प्रयोग तो काफी हद तक दिखता है लेकिन इसके विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में ऐसी सहायक सामग्रियों की नितान्त कमी है।

योजना निर्माण की प्रकिया के अन्तर्गत शिक्षकों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कसन किया गया। शिक्षकों की कठिनाइयों के बारे में पूछे जाने पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं अन्य कठिनाइयों के अतिरिक्त कुछ अकादमिक समस्यायें दिखाई पड़ती हैं। अधिकांश प्राथमिक शिक्षक बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं। इसके साथ गणित एवं विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्यायें सामने रखते है। अभी हाल ही में प्राथमिक स्तर पर नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। जिससे नवीन पाठ्यपुस्तकों को किस प्रकार प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाय। प्राथमिक शिक्षकों के समक्ष एक ज्वलन्त समस्या है जिसका निराकरण नवीन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण से किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक प्रायः शिकायत करते हैं कि जो बच्चे प्राथमिक कक्षाओं से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर इतना निम्न होता है कि वे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं होते है।

इसी प्रकार स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कसन किया गया। जब समाज के विभिन्न समुदायों से यह प्रश्न किया गया कि शिक्षकों से इनकी क्या अपेक्षायें हैं तो अधिकतर लोग यह कहते हुये पाये गये कि शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें और बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें जो उनके जीवन के लिये उपयोगी हो। इन समुदायों के अधिकतर सदस्य समाज में आने वाले सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के गिरावट से चिन्तित दिखते हैं और

शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि वे मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करके इस प्रकार के गिरावट का निराकरण कर सकते हैं।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे है और बालश्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते है। जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूडे कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विद्या को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस.एस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण

यद्यपि विगत वर्षों में चलने वाली बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत किये गये प्रयासों का गुणवत्ता विकास में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है परन्तु इन प्रयासों से केवल आंशिक सफलता ही मिल सकी है।

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद सीतापुर में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहनतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित

किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 71.50 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षणआयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 72 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बो.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 73 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर. सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 74 की दर से अनुमानतः रु0 62 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 75 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 21 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 23 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 24 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 24 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 955 शिक्षामित्रों तथा 170 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 85 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 60 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन. पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षानित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी. सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी. आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एन.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की

गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस माध्यम के उपयोग से प्रशिक्षणों को बहुत आसानी से सम्पन्न किया जा सकता है साथ ही साथ इसके प्रयोग से प्रशिक्षणों के गुणवत्ता का स्तर अधिक उँचा होगा।जिससे प्रशिक्षणों की विश्वसनीयता अधिक बढ़ेगी और उसका प्रभाव और अधिक व्यापक होगा। दूरस्थ प्रशिक्षण माध्यम के उपयोग की भूमिका बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यॉकन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है । इसके अतिरिक्त आंकड़ों के संग्रहण, माइको प्लानिंग एवं संग्रहीत ऑकड़ों के विश्लेषण एवं अनुश्रवण में इस प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये एवं प्रभावी बनाने के लिये **दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित उपकरणों** का **अपग्रेडेशन** किया जायेगा। इसके लिये डी0आर0एस0 सिस्टम को डिजिटल बनायेंगे। उपकरणों के अपग्रेडेशन के साथ ही डायट के कुछ अभिकर्मियों को प्रशिक्षित भी कराया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

विद्यालयों में वर्तमान समय में उपलब्ध शिक्षण समय तथा वास्तविक कार्य समय का आकलन डायट द्वारा किया गया है। सामान्य तौर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय वर्ष में कुल 220 दिन खुलते हैं परन्तु 220 दिन में भी अनेक दिवसों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। प्रायः बहुत से शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जनगणना, पल्स पोलियो व राष्ट्रीय महत्व के अन्य कई कार्य करने पड़ते हैं । दिसम्बर और जनवरी माह में भीषण ठण्ड से बचने के लिये भी कुछ दिनों के लिये विद्यालय बन्द करने पड़ते हैं । कुछ हद तक शिक्षकों के समय से विद्यालय न पहुचने के कारण भी शिक्षण कार्य के लिये कम समय मिलता है । यद्यपि शिक्षा विभाग द्वारा निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार विभिन्न विषयों के लिये घण्टे निर्धारित कर दिये गये हैं –

सारिणी–05
स्कूल समय सारिणी के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय
(सप्ताह में विषयवार शिक्षण के कुल घण्टे)

विषय	प्राथमिक स्तर घण्टा/समय (35 से 40 मिनट)	उच्च प्राथमिक स्तर घण्टा/समय (35 से 40 मिनट)
भाषा–1 हिन्दी	9	7
भाषा –2 संस्कृत/उर्दू	3	3
भाषा –3 अंग्रेजी	3	5

विज्ञान	4	5
गणित	8	7
सामाजिक विपय	4	5
समाजोपयोगी कार्य	5	6
शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, योगासन	5	6
कला शिक्षण/संगीत	4	3
नैतिक शिक्षा	2	2

स्रोत : डायट, सीतापुर

परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध उपर्युक्त समय सारिणी सभी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती है और यदि उपलब्ध होती भी है तो उसका अनुपालन नहीं किया जाता जिससे शिक्षण कार्य के लिये समुचित समय नहीं मिल पाता है । उपर्युक्त तथ्यों पर ध्यान देने से शिक्षण अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता का पता चलता है । एक विद्यालय पंजिका के अनुसार शिक्षण के लिये उपलब्ध दिवसों की संख्या निम्नांकित सारिणी में दी गई है ।

सारिणी–06

विद्यालय पंजिका के अनुसार उपलब्ध कार्यदिवस

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	10	20
अन्य कार्य	10	03
नष्ट हो जाने वाले दिन	06	05
सामाजिक कार्य	04	02
शिक्षण के लिए उपलब्ध दिवस	190	190

स्रोत : डायट, सीतापुर

सारिणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण के अधिकतम 190 दिन का समय मिल पा रहा है। निम्नांकित तरीकों का अनुसरण करके कुछ हद तक शिक्षण समय को बढ़ाया जा सकता है–

क– विद्यालय नियमित खुले और पूर्ण अवधि तक नियमित रूप से शिक्षण कार्य किया जाय।

ख– प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले अवकाश दिवसों में कुछ हद तक कमी करने की आवश्यकता है ।

ग– बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तक लेने एव अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जायगा ।

घ– शिक्षकों की समय नियोजन एवं प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ड.– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण कार्य विद्यालय की समय सारिणी के अनुसार किया जाय और प्रत्येक विद्यालय में समय सारिणी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे।

च.– पाठ्यक्रम का मासिक नियोजन एवं उसका प्रत्येक शिक्षक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा तथा शिक्षण समय को बढ़ाने के लिये डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 एवं अन्य पर्यवेक्षकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ टी.एल.एम. ग्रान्ट का बेहतर उपयोग ओ0बी0बी0 किट एवं अनुपूरक शिक्षण सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित करके शिक्षण समय को बढ़ाया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी. उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 3.98 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.39 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 3.35 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना, उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के

विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 91 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 54.60 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका–

डायट की प्रमुख भूमिका जिले के सभी विद्यालयों विशेषकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना है । इसके साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य सम्पूर्ण जनपद के शिक्षकों , बच्चों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिये शैक्षिक विजन बनाना है। इस प्रकार पूरे जनपद में शैक्षिक वातावरण का सृजन एवं विकास में सहायता मिलेगी।

डायट स्टाफ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों, अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों, ए.बी.एस.ए. , बी0आर0सी0 समन्वयकों एवं एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों के विभिन्न प्रकार की अकादमिक क्षमताओं का विकास करना डायट की जिम्मेदारी है। इसके लिये उपर्युक्त अभिकर्मियों के लिये अनेक प्रकार के माड्यूल्स का विकास कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा।

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूलयांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनमद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्याकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी. आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण

तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव हैं ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी. आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियाँ और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस. सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कन्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के **प्रशिक्षण/कार्यशाला** तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण		अनुदेशक
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन

5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक वि0 के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्रा. करने वाले शिक्षक	05दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ,बी.आर.सी.,एन.पी आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन

25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' चुने हुए शिक्षक का विकास संबंधी कार्यशाला		05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

गुणवत्ता विकास में बी0आर0सी0 की भूमिका –

जिस प्रकार जिले स्तर पर डायट एक आदर्श शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसी प्रकार जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में बी0आर0सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह डायट के सहयोगी अकादमिक संस्थान के रूप में कार्य करेंगे।

बी0आर0सी0 स्तर पर विकास खण्ड से सम्बन्धित शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु डायट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणों, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। इन आयोजनों के माध्यम से विकास खण्ड से सम्बन्धित शैक्षिक समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जायेगा।

बी0आर0सी0 के समन्वयक एवं सह0 समन्वयक विद्यालय भ्रमण करके एक तरफ तो विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को अकादमिक पर्यवेक्षण के माध्यम से समुचित शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करेंगे दूसरी तरफ यह एन0पी0आर0सी0 को अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान करनें का कार्य करेगी।

विद्यालयों के पर्यवेक्षण के दौरान ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करके विद्यालयों के अकादमिक स्तर में सुधार करनें का प्रयास बी0आर0सी0 के अभिकर्मियों द्वारा भी किया जाता है इस प्रक्रिया को जारी रखा जायेगा।

उपर्युक्त भूमिका के अतिरिक्त बी0आर0सी0 विकास खण्ड स्तर के सभी शैक्षिक ऑकड़ों के संग्रह के लिये एक केन्द्र का कार्य करेगा। यह शिक्षकों के अतिरिक्त वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों एवं एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों को अकादमिक सहयोग प्रदान करनें का कार्य करने वाली संस्था है। बी0आर0सी0 स्तर पर टी.एल.एम. एवं विचार–विनिमय मेलों का आयोजन करके टीचिंग लर्निंग मैटेरियल के विकास एवं प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

डायट स्तर पर सभी प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन कर पाना सम्भव नहीं हैं अतः आवश्यकतानुसार कुछ प्रशिक्षणों का आयोजन बी0आर0सी0 स्तर भी किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों के आयोजन एवं सफल संचालन में बी0आर0सी0 को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- 0 सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- 0 विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- 0 ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- 0 अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- 0 बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- 0 शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 0 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- 0 बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- 0 प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन0पी0आर0सी0 की भूमिका–

जिस प्रकार डायट को सहयोग प्रदान करने के लिये विकास खण्ड स्तर पर बी0आर0सी0 एक महत्वपूर्ण अकादमिक संस्थान का कार्य करती है उसी प्रकार बी0आर0सी0के सहयोग के लिये प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एन0पी0आर0सी0 कार्य करती है ।

यह संस्थान विद्यालयों के पर्यवेक्षण द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करके उनके अकादमिक स्तर में सुधार लाने का प्रयास करेगी। इसके प्रभारी शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों ,

ई0सी0सी0ई0 की सहायिकाओं एवं ग्राम शिक्षा समितियों को उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने का कार्य करेंगे।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर भी टी0एल0एम0 के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जायेगा इसके अतिरिक्त संकुल से सम्बन्धित शैक्षिक समस्याओं पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करके शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण का समुचित प्रयास किया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक वातावरण के सृजन एवं विकास में एन0पी0आर0सी0 जैसी अकादमिक संस्थान की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- o शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- o विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- o वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- o ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- o स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- o शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- o 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- o एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

वस्तुतः डायट, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित अकादमिक संस्थायें हैं। विद्यालयों, ई0जी0एस0 केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने में उपर्युक्त तीनों अकादमिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनके माध्यम से सम्पूर्ण जनपद में शैक्षिक वातावरण का सृजन एवं विकास किया जायेगा।

बी0आर0सी0 स्तर पर प्रति माह एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में विद्यालयों के पर्यवेक्षण के दौरान अकादमिक क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की जायेगी। इस आपसी विचार–विमर्श के माध्यम से अकादमिक समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति बनाकर उसे विद्यालयों में कियान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार डायट स्तर पर प्रतिमाह बी0आर0सी0 समन्वयकों की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें एन0पी0आर0सी0 एवं विद्यालयों के पर्यवेक्षण के दौरान आने वाली अकादमिक समस्याओं पर विचार–विमर्श किया जायेगा। डायट के ब्लाक प्रभारियों एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों के आपसी सहयोग से विकास खण्ड से सम्बन्धित अकादमिक समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। बी0आर0सी0 एवं डायट स्तर की बैठकों में विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 के श्रेणीकरण पर भी चर्चा की जायेगी और निम्न श्रेणी वाली इन सभी संस्थाओं को उच्च श्रेणी में लाने हेतु समुचित सुझाव दिये जायेंगे। इन तीनों संस्थाओं के आपसी सहयोग एवं तालमेल से जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय विद्यालयों ई0सी0एस0 केन्द्रों, मकतबों एवं मदरसों का अकादमिक पर्यवेक्षण करके उन्हें समुचित शैक्षिक सपोर्ट एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

न्यूजलेटर का प्रकाशन

जिले की शैक्षिक गतिविधियों से शिक्षकों एवं बच्चों को अवगत कराने के लिये डायट स्तर से त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जायेगा । इस न्यूजलेटर के माध्यम से शिक्षकों के साथ–साथ अन्य शिक्षा कर्मियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रविधियों से अवगत कराने का प्रयास किया जायेगा । इससे जनपद स्तर पर समुचित शैक्षिक वातावरण के सृजन एवं विकास में सहायता मिलेगी । डायट स्तर से प्रकाशित किये जाने वाले त्रैमासिक न्यूज लेटर की तरह प्रत्येक बी0आर0सी0 से भी ऐसे त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जायेगा जिसमें विकास खण्ड स्तर की प्रमुख शैक्षिक गतिविधियों की झलक होगी ।

नवाचार कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस कार्य के लिये सरकारी तंत्र के अलावा स्वयं सेवी संगठनों का सहारा लिया जायेगा। नवाचार के कुछ चिन्हित क्षेत्र निम्नांकित हैं–

1. अपवंचित बच्चों की शिक्षा

जिले की मलिन बस्तियों के बच्चों, स्ट्रीट चिल्ड्रेन एवं बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिये पूर्व में कम प्रयास किये गये हैं। सर्वेक्षण करके ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे, उसके उपरान्त इन बच्चों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों अथवा शिक्षा के अन्य केन्द्रों में नामांकित करायेंगे। इन संस्थाओं में नामांकन के बाद समय–समय पर पर्यवेक्षण करके ऐसे नामांकित बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अध्ययन करते रहेंगे। पर्यवेक्षणों के माध्यम से उनकी शिक्षा में आने वाली अकादमिक समस्याओं का निराकरण करके उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान करेंगे।

2. विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक कार्य को प्रोत्साहन

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे हाई स्कूल या इण्टर कालेज का चयन किया जायेगा जहाँ विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध हो । उस क्षेत्र के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ऐसे सुविधा सम्पन्न विद्यालय से सम्बद्ध करके विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाया जायेगा ।

3. एक्सपोजर विजिट द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण

शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिये प्रत्येक वर्ष जनपद एवं डायट के चयनित अध्यापकों को अन्य प्रदेशों में भी एक्सपोजर विजिट कराया जायेगा। इस प्रकार नवीन शिक्षण विधियों एवं तकनीकों का आदान–प्रदान किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 की सहायिकाओं एवं ग्राम शिक्षा समितियों को उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने का कार्य करेंगे।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर भी टी0एल0एम0 के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जायेगा इसके अतिरिक्त संकुल से सम्बन्धित शैक्षिक समस्याओं पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करके शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण का समुचित प्रयास किया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक वातावरण के सृजन एवं विकास में एन0पी0आर0सी0 जैसी अकादमिक संस्थान की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

वस्तुतः डायट, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित अकादमिक संस्थायें हैं। विद्यालयों, ई0जी0एस0 केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने में उपर्युक्त तीनों अकादमिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनके माध्यम से सम्पूर्ण जनपद में शैक्षिक वातावरण का सृजन एवं विकास किया जायेगा।

बी0आर0सी0 स्तर पर प्रति माह एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में विद्यालयों के पर्यवेक्षण के दौरान अकादमिक क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की जायेगी। इस आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से अकादमिक समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति बनाकर उसे विद्यालयों में कियान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार डायट स्तर पर प्रतिमाह बी0आर0सी0 समन्वयकों की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें एन0पी0आर0सी0 एवं विद्यालयों के पर्यवेक्षण के दौरान आने वाली अकादमिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जायेगा। डायट के ब्लाक प्रभारियों एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों के आपसी सहयोग से विकास खण्ड से सम्बन्धित अकादमिक समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। बी0आर0सी0 एवं डायट स्तर की बैठकों में विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 के श्रेणीकरण पर भी चर्चा की जायेगी और निम्न श्रेणी वाली इन सभी संस्थाओं को उच्च श्रेणी में लाने हेतु समुचित सुझाव दिये जायेंगे। इन तीनों संस्थाओं के आपसी सहयोग एवं तालमेल से जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय विद्यालयों ई0जी0एस0 केन्द्रों, मकतबों एवं मदरसों का अकादमिक पर्यवेक्षण करके उन्हें समुचित शैक्षिक सपोर्ट एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

न्यूजलेटर का प्रकाशन

जिले की शैक्षिक गतिविधियों से शिक्षकों एवं बच्चों को अवगत कराने के लिये डायट स्तर से त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जायेगा । इस न्यूजलेटर के माध्यम से शिक्षकों के साथ–साथ अन्य शिक्षा कर्मियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रविधियों से अवगत कराने का प्रयास किया जायेगा । इससे जनपद स्तर पर समुचित शैक्षिक वातावरण के सृजन एवं विकास में सहायता मिलेगी । डायट स्तर से प्रकाशित किये जाने वाले त्रैमासिक न्यूज लेटर की तरह प्रत्येक बी0आर0सी0 से भी ऐसे त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जायेगा जिसमें विकास खण्ड स्तर की प्रमुख शैक्षिक गतिविधियों की झलक होगी ।

नवाचार कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस कार्य के लिये सरकारी तंत्र के अलावा स्वयं सेवी संगठनों का सहारा लिया जायेगा। नवाचार के कुछ चिन्हित क्षेत्र निम्नांकित हैं–

1. **अपवंचित बच्चों की शिक्षा**

   जिले की मलिन बस्तियों के बच्चों, स्ट्रीट चिल्ड्रेन एवं बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिये पूर्व में कम प्रयास किये गये हैं। सर्वेक्षण करके ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे, उसके उपरान्त इन बच्चों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों अथवा शिक्षा के अन्य केन्द्रों में नामांकित करायेंगे। इन संस्थाओं में नामांकन के बाद समय–समय पर पर्यवेक्षण करके ऐसे नामांकित बच्चों को शैक्षिक प्रगति का अध्ययन करते रहेंगे। पर्यवेक्षणों के माध्यम से उनकी शिक्षा में आने वाली अकादमिक समस्याओं का निराकरण करके उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान करेंगे।

2. **विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक कार्य को प्रोत्साहन**

   प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे हाई स्कूल या इण्टर कालेज का चयन किया जायेगा जहाँ विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध हो । उस क्षेत्र के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ऐसे सुविधा सम्पन्न विद्यालय से सम्बद्ध करके विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाया जायेगा ।

3. **एक्सपोजर विजिट द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण**

   शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिये प्रत्येक वर्ष जनपद एवं डायट के चयनित अध्यापकों को अन्य प्रदेशों में भी **एक्सपोजर विजिट** कराया जायेगा। इस प्रकार नवीन शिक्षण विधियों एवं तकनीकों का आदान–प्रदान किया जायेगा।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 **बी.**आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	50.00 लाख

उपकरण / साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	10.00 लाख

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध / अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं / सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव / पी.ओ.एल.	0.50
	योग	10.00 लाख

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उयपोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियें के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

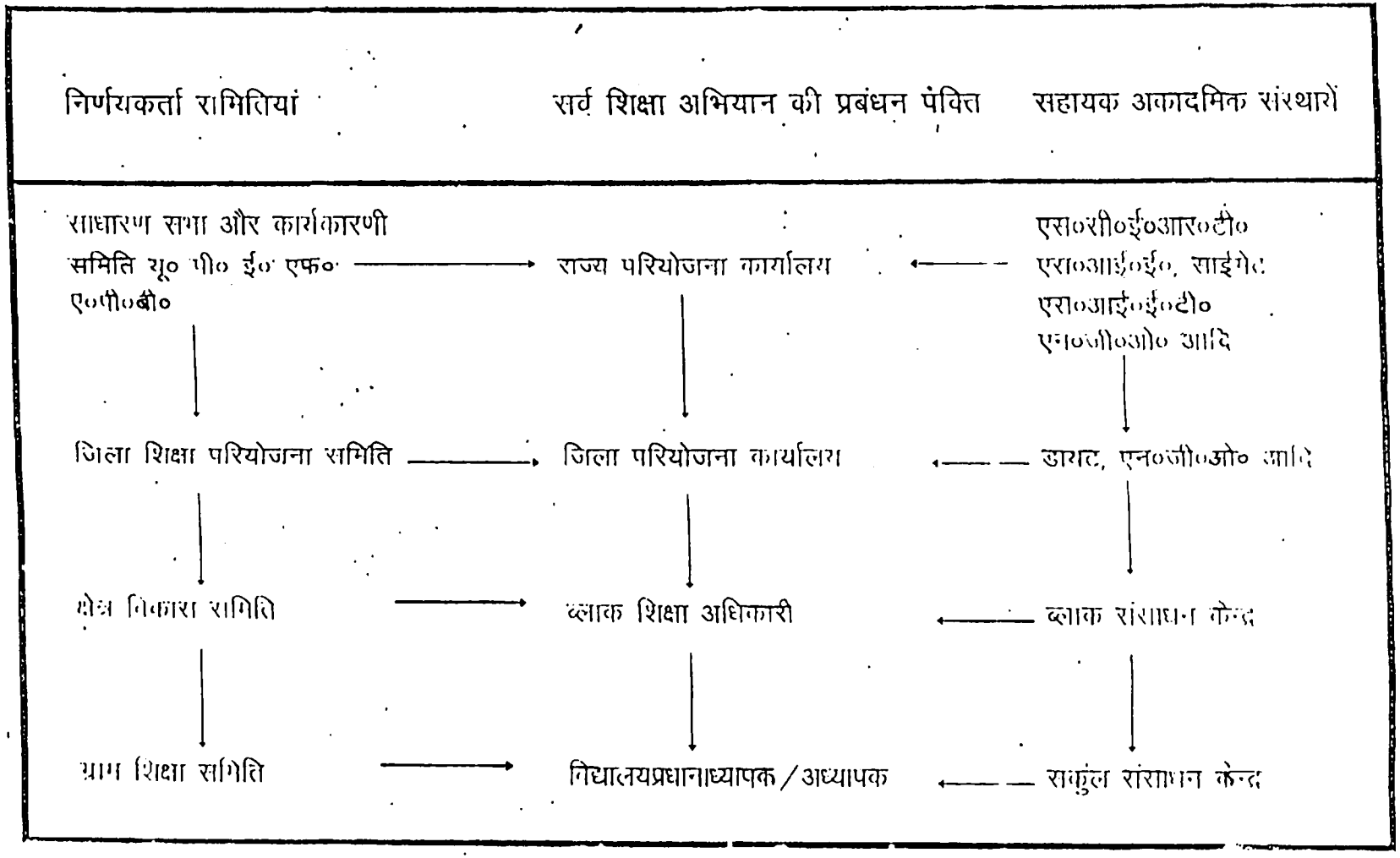
निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी
समिति यू० पी० ई० एफ०
ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साईमेट
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र निकाय समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक
समूह संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलो, उनके भवना और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(ढ) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसेक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदाया होगा।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एन0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनर्वाकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडनिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय सनितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणर्नातियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डायट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवंधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये सस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्वन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अर्धीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यो का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियें द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव डी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओ क एकत्राकरण म समय का बचत हो सक और काय योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सको 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के वच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अनिष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने में सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी दाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डॉयट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इस्ी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

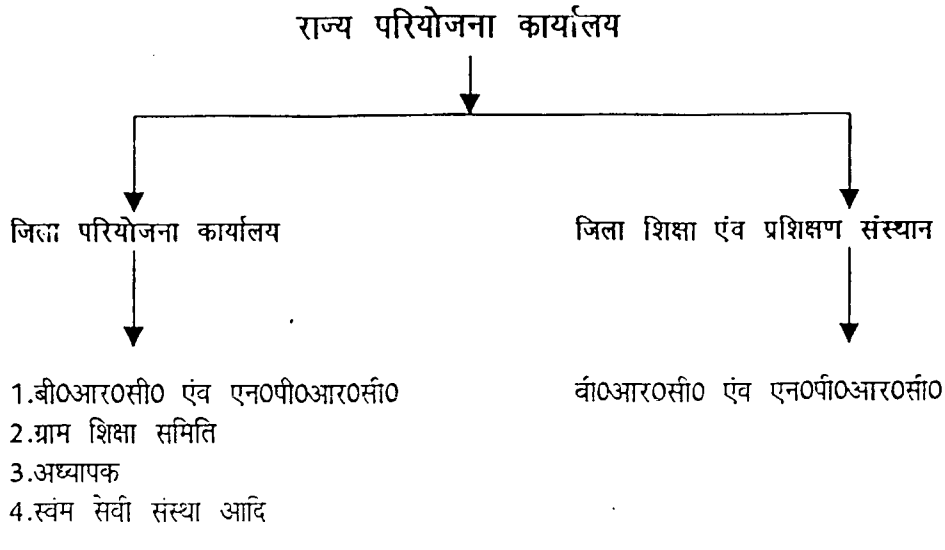

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पुर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण मे आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

PROJECT COST

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS													
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18 +40)	9	2331									9	2331
1	New Upper Primary Schools	451 (383+10+18 +40)	70	31570	29	13079							99	44649
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) (1Tr. + 1SM)	11.2	9	907	9	1210	9	1210	9	1210	9	1210	45	5746
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	9	280	22680	396	42768	396	42768	396	42768	396	42768	1864	193752
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	10	70	6300	99	11880	99	11880	99	11880	99	11880	466	53820
5	Furniture / Fixture & Equipment													
	PS	10	9	90									9	90
	UPS	50	70	3500	29	1450							99	4950
	Total		**517**	**67378**	**562**	**70387**	**504**	**55858**	**504**	**55858**	**504**	**55858**	**2591**	**305338**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10											0	0
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Cohart Study	200	1	200					1	200			2	400
	Total		**2**	**400**	**1**	**200**	**1**	**200**	**2**	**400**	**1**	**200**	**7**	**1400**
	Interventions for out of school children													
A3	Alternative School(EGS + AIE)													
	EGS													

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	4830	3405	3000	2115							7830	5520
	Upper Primary	1.0 per child	3750	3750	5100	5100	2430	2430	1215	1215	600	600	13095	13095
	Total		**8580**	**7155**	**8100**	**7215**	**2430**	**2430**	**1215**	**1215**	**600**	**600**	**20925**	**18615**
A4	Back to School Campaign	1.5 per child	100	150	100	150	100	150	50	75			350	525
	Innovation for EGS	50	1	50									1	50
A5	Bridge/Remedial Courses	1.5 per child			50	75	50	75					100	150
	Upgraoation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa												0	0
	SubTotal (A)		**9201**	**75183**	**8814**	**78077**	**3086**	**58763**	**1772**	**57598**	**1106**	**56708**	**23979**	**326328**
(R)	**RETENTION**													
	Additional Classrooms	70	100	7000	400	28000	300	21000	89	6230			889	62230
	Additional Teachers Primary School	7	292	18396	350	29400	785	65940	950	79800	1247	104748	3624	298284
	Additional Teachers Primary School (SM)	2.2	580	11484	580	15312	785	20724	950	25080	1247	32921	4142	105521
R1	Toilets (PS + UPS)	10	12	120	85	850							97	970
	Rec. of Old PS	191	25	4775	50	9550							75	14325
	Rec. of Old UPS	383											0	0
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	50	900	50	900	48	864	25	450			173	3114
	Repairs (PS+UPS)													
	Minor	20	178	3560	86	1720							264	5280

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Major	70	76	5320	30	2100							106	7420
R3	Maintenance of School	5 PA/per schools	2681	13405	2760	13800	2789	13945	2789	13945	2789	13945	13808	69040
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40											0	0
R4	School Improvement Grant (PS)	2 oa per school	2239	4478	2248	4496	2248	4496	2248	4496	2248	4496	11231	22462
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	442	884	512	1024	541	1082	541	1082	541	1082	2577	5154
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district		5000		3000		3000		3000		3000		17000
	Promoting Girls Education													
	Summer Camps	10 per camp	4	40	5	50	4	40	3	30			16	160
R6	MCDA including	75 per cluster	3	225	3	225	3	225	2	150	2	150	13	975
	Gender Sensitization													
R7	SUPW for girls	25 per school	10	250	10	250	10	250	10	250	10	250	50	1250
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre	60	1080	60	1080	60	1080	60	1080			240	4320
1	Strengthening ICDs Centres													
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100									1	100
4	Civil Works (one additional room)	70											0	0
5	TLM	5 per centre	25	125	25	125	25	125					75	375
6	Additional Honorarium (InstructorWorker)	0.375 per centre	25	113	50	225	75	338	75	338	75	338	300	1352

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			25	28	50	75	75	113	75	113	225	329
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)													
	Induction	3			25	75	25	75	25	75			75	225
	Recurring	1.2					25	30	50	60	75	90	150	180
R10	Community Mobolisation													
1	MTA/PTA training	0.007	695	5	720	5	310	2					1725	12
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	119	952							219	1752	338	2704
3	Development of Awareness Material	5 per block	19	95			19	95			19	95	57	285
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	219	1095	219	1095	219	1095	219	1095	219	1095	1095	5475
5	Production of Audio Tapes	10 per district					1	10					1	10
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10			1	10			1	10	3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district											0	0
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	15	75
R12a	Award to Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
R12b	Award to Best NPRC	7 Per Block	19	133	19	133	19	133	19	133	19	133	95	665

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R12c	Award to Best Teacher	5 Per Block	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	95	475
R13	Remedial Teaching of SC/ST Education	0.705 per child											0	0
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child											0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	500	600	600	720	800	960	1000	1200	1200	1440	4100	4920
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)											0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	15	1500	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	55	5500
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	2826	1413	3040	1520	3270	1635	3270	1635	3270	1635	15676	7838
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school											0	0
	Sub Total (B)		**9433**	**83228**	**11987**	**116853**	**12447**	**138399**	**12435**	**141412**	**13291**	**168463**	**94641**	**648355**
	(Q) Quality Improvement													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra	0.07 per person per day	315	662	468	983	462	970	488	1025	835	1754	2568	5394
2	Induction Traning for Assistant Teacher	0.07 per person per day	316	133	469	197	462	194	489	205	835	351	2571	1080

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS)	0.07 per person per day	15	6									15	6
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS)	0.07 per person per day	250	105	266	112							516	217
5	In Service Teachers Training	0.07 per person per day	8566	5996	9034	6324	9496	6647	9985	6990	10820	7574	47901	33531
6	Refresher Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day			315	331	783	822	829	870	1317	1383	3244	3406
7	Inservice training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	27	57									27	57
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day											0	0
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day	259	272	286	300	286	300	286	300	286	300	1403	1472
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day											0	0
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day											0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day	19	7	19	7	19	7	19	7	19	7	95	35

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day	219	77	219	77	219	77	219	77	219	77	1095	385
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	125	175
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	125	265
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	238	357	238	357	238	357	238	357	238	357	1190	1785
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	22	8	22	8	22	8	22	8	22	8	110	40
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day											0	0
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	100	150
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	1914	172	1914	172	1914	172			1914	172	7656	688
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	10	700	10	700	10	700					30	2100
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	2500	875	645	226							3145	1101
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	35	125

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	40	100
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	2520	529	700	147							3220	676
	Total		**17275**	**10119**	**14690**	**10104**	**13996**	**10417**	**12660**	**10002**	**16590**	**12146**	75211	52788
Q2	Teaching Learning Material													
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	5952	2976	6850	3425	6950	3475	7100	3550	7200	3600	34052	17026
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1485	743	1550	775	1600	800	1600	800	1600	800	7835	3918
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per Child per year	178315	26747	185500	27825	190000	28500	192000	28800	196000	29400	941815	141272
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	0.150 per Child per year	33922	5088	36000	5400	39000	5850	45000	6750	48000	7200	201922	30288
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	2253	1127	2268	1134	2268	1134	2268	1134	2268	1134	11325	5663
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	542	542	742	742	980	980	980	980	980	980	4224	4224
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS			1	1000					1	1000	2	2000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10	1	10			4	40

PROJECT COST

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each									1	400	1	400
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each									1	400	1	400
12	School Awards	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Total		**222473**	**37578**	**232915**	**40656**	**240802**	**41094**	**248952**	**42369**	**256054**	**45259**	**1201196**	**206956**
	Subtotal (C)		**239748**	**47697**	**247605**	**50760**	**254798**	**51511**	**261612**	**52371**	**272644**	**57405**	**1276407**	**259744**
C1	**DIET**													
	Civil Work	5000											0	0
1	Furniture	100	1	100									1	100
2	Equipments (including audio visual)	300	1	300									1	300
3	Computers Work Station	600											0	0
4	Vehicle (where applicable)	350											0	0
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
8	Research/Action Research	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Seminars	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
9	Faculty Development	30	1	30			1	30	1	30	1	30	4	120
10	Exposure Visits	50			1	50			1	50			2	100
11	Library	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
12	Salary of Computer Operator	7	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	60	420
13	Salary of Driver (where applicable)	4	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	60	240

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Contingency	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
	Total		**35**	**1152**	**33**	**772**	**33**	**752**	**34**	**802**	**33**	**752**	**168**	**4230**
C2	Block Resource Centre													
1	Civil Construction	800											0	0
2	Salary Coordinator	6.5											0	0
3	Asstt. Coordinator	9	19	1539	19	2052	19	2052	19	2052	19	2052	95	9747
4	Chowkidar	3											0	0
5	Equipment/Furniture	100											0	0
6	Travelling Allowance	5	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	95	475
7	Maint of Equipment	1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	95	95
8	Maint of Building	6	19	114	19	114	19	114	19	114	19	114	95	570
9	Books	10			19	190							19	190
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	2795	839	3010	903	3248	974	3248	974	3248	974	15549	4664
11	Consumables	5	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	95	475
12	Contingency	12	19	228	19	228	19	228	19	228	19	228	95	1140
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	228	68	228	68	228	68	228	68	228	68	1140	340
	Total		**3137**	**2997**	**3371**	**3764**	**3590**	**3645**	**3590**	**3645**	**3590**	**3645**	**17278**	**17696**
C3	School Complex (NPRC)													

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Construction	200											0	0
2	Salary Coordinator	6.5											0	0
3	Equipment/Furniture	10											0	0
4	Books for Library/Book Bank	5			219	1095			219	1095			438	2190
5	Contingency	2.5	219	548	219	548	219	548	219	548	219	548	1095	2740
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	219	526	219	526	219	526	219	526	219	526	1095	2630
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	2795	559	3010	602	3248	650	3248	650	3248	650	15549	3111
	Total		**3233**	**1633**	**3667**	**2771**	**3686**	**1724**	**3905**	**2819**	**3686**	**1724**	**18177**	**10671**
C4	District Project Office													
	Staffing Coordinators4													
	Consultants2													
	AAO													
	Peon-1													
	(if vehicle is purchases)	88	1	792	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	5	5016
	Furniture	50											0	0
	Equipment	50											0	0
	Books	10			1	10			1	10			2	20
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350											0	0
	Motorcycle	50											0	0
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
SITAPUR

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	Books	10			1	10			1	10			2	20
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	228	1368	228	1368							456	2736
	Maintenance of Equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	2795	442	3010	476	3248	513	3248	513	3248	513	15549	2457
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	2795	839	3010	903	3248	974	3248	974	3248	974	15549	4664
	Total		**5826**	**3591**	**6258**	**3973**	**6504**	**2693**	**6506**	**2713**	**6504**	**2693**	**31598**	**15663**
C4 1	MIS													
1	MIS Call Furnisning	50											0	0
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	1	63	3	252	3	252	3	252	3	252	13	1071
	Salary of MIS Officer	10x2			1	120	1	120	1	120	1	120	4	480
3	MIS Equipments (where applicable)	460											0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100